

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 100] No. 100] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 15, 2016/माघ 26, 1937

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 15, 2016/MAGHA 26, 1937

भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना

मुंबई, 15 फरवरी,2016

सं.फेमा. 361/2016-आरबी

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2016

सा.का.नि.165 (अ).- विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है. अर्थात:-

## 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- (i) ये विनियम, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) **(**संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

## 2. विनियम में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसुचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में,

ए. विनियम 2 में, खंड (viiए) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

780GI/2016 (1)

- "(viiए) अनिवासी भारतीय (NRI) का तात्पर्य भारत से बाहर के निवासी उस व्यक्ति से है जो भारत का नागरिक है अथवा नागरिकता अधिनियम,1955 की धारा 7(ए) के अर्थों में "ओवरसीज़ भारतीय नागरिक" का कार्ड होल्डर है।"
- बी. विनियम 5(3) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:
  - "(i) कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत, प्रत्यावर्तनीय आधार पर, भारत में किसी स्टॉक एक्स्चेंज से प्रतिभृतियां अथवा यूनिटें अर्जित कर सकता है।
  - (ii) कोई अनिवासी भारतीय (NRI) अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, प्रतिभूतियां अथवा यूनिटें अर्जित कर सकता है।
- सी. अनुसूची 3, निम्नवत प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात

## "अनुसूची – 3

## [विनियम 5(3)(i) देखें]

# किसी अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर भारत में किसी स्टाक एक्स्चेंज से प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों का अर्जन

- 1. कोई अनिवासी भारतीय (NRI), प्रत्यावर्तनीय आधार पर, किसी भारतीय कंपनी के शेयर, परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर और वारंट अथवा किसी निवेश संस्था (investment vehicle) की यूनिटें किसी स्टाक एक्स्चेंज से निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत खरीद अथवा बेच सकता है:
  - ए. अनिवासी भारतीय (NRI) किसी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा एतदर्थ नामित शाखा के जरिए पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत शेयर/परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर/वारंट एवं यूनिटों की खरीद एवं बेच सकते हैं;
  - बी. किसी एक अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा किसी भारतीय कंपनी के खरीदे गए शेयरों का प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी शेयरों के प्रदत्त मुल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;
  - सी. किसी एक अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी श्रृंखला के अंतर्गत खरीदे गए परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी संबंधित श्रृंखला के परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रदत्त मूल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;
  - डी. किसी एक अनिवासी भारतीय (NRI) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी श्रृंखला के अंतर्गत खरीदे गए वारंटों का प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी संबंधित श्रृंखला के वारंटों के प्रदत्त मृल्य के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;
  - ई. सभी अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा प्रत्यावर्तनीय आधार पर किसी कंपनी के खरीदे गए शेयरों का समग्र प्रदत्त मूल्य संबंधित कंपनी द्वारा जारी शेयरों के प्रदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए और सभी अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा प्रत्येक श्रृंखला के अंतर्गत खरीदे गए परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा वारंटों का समग्र प्रदत्त मूल्य संबंधित श्रृंखलाओं के परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा वारंटों के प्रदत्त मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;
    - बशर्ते कि, इस खंड में संदर्भित दस प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा को बढ़ाकर चौबीस प्रतिशत किया जा सकता है यदि संबंधित भारतीय कंपनी की सामान्य निकाय की बैठक द्वारा इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया जाए;
  - एफ. अनिवासी निवेशक खरीदे गए शेयरों/परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ वारंटों एवं यूनिटों की सुपुर्दगी लें एवं उन्हें बेचने पर सुपुर्दगी दें;
  - जी. जहां कहीं लागू हो, ये निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति एवं इन विनियमों की अनुसूची 1 के उपबंधों के अधीन सेक्टोरल कैप के अधीन होंगे।

स्पष्टीकरण: "निवेश संस्थाओं" एवं "यूनिटों" के तात्पर्य वही होंगे जैसेकि इन विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (iiजी) और (xiए) में यथा परिभाषित हैं।

#### 2. रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट भेजना

पैराग्राफ 1 में यथा संदर्भित प्राधिकृत व्यापारी की नामित शाखा द्वारा इस अनुसूची के अंतर्गत किए गए लेनदेनों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से उसे रिपार्ट किया जाएगा।

## 3. अनिवासी भारतीय द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/यूनिटों आदि की खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन हेतु खाते रखना

इस योजना के तहत निवेश करने के लिए कोई अनिवासी भारतीय, इस अनुसूची के अंतर्गत शेयरों/परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/वारंटों/यूनिटों की बिक्री एवं खरीद संबंधी लेनदेनों की प्राप्ति एवं भुगतान हेतु, पैराग्राफ 1 में संदर्भित प्राधिकृत व्यापारी {विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा) की नामित शाखा में 'नामित एनआरई' खाता खोल सकता है। नामित खाता एनआरई (पीआईएस) खाता कहलाएगा।

नामित शाखा यह सुनिश्चित करेगी कि पोर्टफोलियो निवेश योजना से भिन्न तरीके से अर्जित प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों, जैसे एडीआर / जीडीआर में/के परिवर्तन पर अर्जित अंतर्निहित शेयरों / प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत अर्जित शेयरों / परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों / वारंटों अथवा भारत से बाहर अनिवासी भारतीयों से खरीदे अथवा निवासियों / अनिवासियों से निजी व्यवस्था के अंतर्गत अर्जित अथवा भारत में निवास के दौरान अर्जित की गई प्रतिभूतियों की बिक्रीगत आगम राशि एनआरई (पीआईएस) खाते में न तो जमा की जाएगी और न ही तत्संबंध में नामे की जाएगी।

## 4. एनआरई (NRE) (पीआईएस) खाते में अनुमत जमा /से अनुमत नामे

#### जमा

- ए. सामान्य बैंकिंग चैनल से विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण;
- बी. किसी अनिवासी द्वारा भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे अन्य एनआरई (NRE) अथवा एफसीएनआर (FCNR) (बी) खाते से अंतरण:
- सी. प्रत्यावर्तनीय आधार पर योजना के अंतर्गत शेयरों / परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / वारंटों / यूनिटों के किए गए अर्जन और किसी पंजीकृत दलाल के जरिए स्टॉक एक्स्चेंज में की गई बिक्री (लागू करों के भुगतान के बाद) की निवल आगम राशि; और
- डी. प्रत्यावर्तनीय आधार पर योजना के अंतर्गत किए गए निवेश पर अर्जित लाभांश अथवा आय ।

#### नामे

- ए. अर्जित लाभांश अथवा आय के जावक विप्रेषण;
- बी. योजना के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों / परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / वारंटों / यूनिटों की किसी पंजीकृत दलाल के जरिए स्टॉक एक्स्चेंज से की गई खरीद के लिए आदयगी;
- सी. योजना के अंतर्गत प्रतिभृतियों/युनिटों की बिक्री/खरीद के कारण प्रभारों हेत्।
- डी. भारत से बाहर विप्रेषण अथवा किसी अनिवासी भारतीय अथवा ऐसा खाता रखने के लिए पात्र किसी अन्य व्यक्ति के खाते से एनआरई (NRE) अथवा एफसीएनआर (FCNR) (बी) खाते में अंतरणा

#### 5. झुट

मौजूदा एनआरओ (पीआईएस) खातों को एनआरओ खाते के रूप में पुनर्नामित किया जाएगा।"

## डी. अनुसूची 4 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात

## " अनुसूची – 4

## [विनियम 5(3)(ii) देखें ]

## किसी अनिवासी भारतीय द्वारा, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर, प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों का अर्जन

## खरीद के लिए अनुमति

- 1. भारत से बाहर निगमित कंपनी, ट्रस्ट और भागीदारी फ़र्म, जो अनिवासी भारतीय द्वारा स्वाधिकृत और नियंत्रित हैं, सहित कोई अनिवासी भारतीय अप्रत्यावर्तनीय आधार पर इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय अधिमानी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर, वारंट अथवा यूनिटें अर्जित एवं धारित कर सकता है, जिन्हें किसी निवासी द्वारा किए गए निवेश के समतुल्य घरेलू निवेश माना जाएगा। सामान्य स्वरूप को खोए बिना, यह उल्लेख किया जाता है कि -
- ए. कोई अनिवासी भारतीय बिना किसी सीमा के किसी स्टॉक एक्स्चेंज अथवा उससे बाहर किसी कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों की खरीद अप्रत्यावर्तनीय आधार पर कर सकता है।
- बी. कोई अनिवासी भारतीय बिना किसी सीमा के किसी स्टॉक एक्स्चेंज अथवा उससे बाहर किसी निवेश संस्था द्वारा जारी यूनिटों की खरीद अप्रत्यावर्तनीय आधार पर कर सकता है।
- सी. कोई अनिवासी भारतीय किसी भागीदारी फ़र्म अथवा मालिकाना फ़र्म अथवा सीमित देयता भागीदारी फ़र्म की पूंजी में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अंशदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण: "निवेश संस्थाओं" एवं "यूनिटों" के तात्पर्य वही होंगे जैसेकि इन विनियमों के विनियम 2 के उप-विनियम (iiजी) और (xiए) में यथा परिभाषित हैं।

#### खरीद पर प्रतिबंध

2. पैराग्राफ 1 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, कोई अनिवासी भारतीय, इस अनुसूची के अंतर्गत, किसी निधि कंपनी अथवा कृषि / बागवानी गतिविधियों अथवा रियल इस्टेट कारोबार अथवा फार्म हाउस के निर्माण अथवा हस्तांतरणीय विकास अधिकार में संलग्न कंपनियों के इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, वारंटों अथवा यूनिटों में निवेश नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण: इस पैराग्राफ के प्रयोजन के लिए, "रियल इस्टेट कारोबार" का तात्पर्य लाभ कमाने के दृष्टिकोण से भूमि एवं अचल संपत्ति के ऐसे सौदे करना है और उसमें टाउनिशप का विकास, आवासीय, वाणिज्यिक परिसरों, सड़क अथवा पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर, टाउनिशप के निर्माण शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, संपत्ति के लीज़ से प्राप्त किराए से हुई आमदनी, जो अंतरणीय नहीं है, को रियल इस्टेट कारोबार की राशि नहीं माना जाएगा। सेबी (REITs) विनियमावली, 2014 के तहत पंजीकृत एवं विनियमित किसी 'निवेश संस्था (investment vehicle)' की यूनिटों में किया गया निवेश भी "रियल इस्टेट कारोबार" की परिभाषा से बाहर होगा।"

## खरीद के लिए भुगतान का तरीका

3. इस अनुसूची के अंतर्गत निवेश करने के लिए प्रतिफल राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए किए गए विप्रेषण से अथवा भारत में किसी बैंक के पास रखे एनआरई / एफसीएनआर / एनआरओ (NRE/FCNR/NRO) खाते में जमा निधियों से अदा की जा सकती है।

#### बिक्री / परिपक्वतागत आगम राशि

- 4. इस अनुसूची के अंतर्गत अर्जित प्रतिभूतियों अथवा यूनिटों की बिक्री/परिपक्वतागत आगम राशि (लागू करों को घटाकर) केवल एनआरओ (NRO) खाते में जमा की जाएगी, भले ही प्रतिफल राशि का भुगतान किसी भी स्वरूप के खाते से किया गया हो।
- 5. इस योजना के अंतर्गत किए गए निवेश की राशि और उसकी पूंजी में हुई वृद्धि भारत से बाहर प्रत्यावर्तित नहीं की जा सकेगी। "

[ सं. 1/1/ईएम-2016]

बी.पी.कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.िन. सं.406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001 सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001 सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001 सा.का.नि. सं. 4 (अ) दिनांक 02.01.2002 सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002 सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013

सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014 सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014 सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014 सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014 सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014 सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015 सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015 सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015 सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015 सा.का.नि. सं. 745(अ) दिनांक 30.09.2015 सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015 सा.का.नि. सं. 823(अ) दिनांक 30.10.2015 सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

# (CENTRAL OFFICE)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th February, 2016

#### No.FEMA.361/2016-RB

## Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2016

**G.S.R. 165** (E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

#### 1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Amendment of the Regulation

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000),

- A. In Regulation 2, the existing clause (viia) shall be substituted, namely:
  - "(viia) Non-Resident Indian (NRI) means an individual resident outside India who is citizen of India or is an 'Overseas Citizen of India' cardholder within the meaning of section 7 (A) of the Citizenship Act, 1955."
- B. Regulation 5 (3) shall be substituted, namely
  - "(i) A Non- Resident Indian (NRI) may acquire securities or units on a Stock Exchange in India on repatriation basis under the Portfolio Investment Scheme, subject to the terms and conditions specified in Schedule 3.
  - (ii) A Non- Resident Indian (NRI) may acquire securities or units on a non-repatriation basis, subject to the terms and conditions specified in Schedule 4.
- C. Schedule 3 shall be substituted, namely

#### "Schedule-3

## [See Regulation 5(3) (i)]

#### Acquisition of Securities or Units by

# a Non-Resident Indian (NRI) on a Stock Exchange in India on Repatriation basis under the Portfolio Investment Scheme

- 1. A Non-resident Indian (NRI) may purchase or sell shares, convertible preference shares, convertible debentures and warrants of an Indian company or units of an investment vehicle, on repatriation basis, on a recognised stock exchange, subject to the following conditions:
  - a. NRIs may purchase and sell shares /convertible preference shares/ convertible debentures /warrants and units under the Portfolio Investment Scheme through a branch designated by an Authorised Dealer for the purpose;
  - b. The paid-up value of shares of an Indian company purchased by any individual NRI should not exceed five percent of the paid-up value of shares issued by the company concerned;
  - c. the paid-up value of convertible preference shares or convertible debentures of any series purchased by any individual NRI on repatriation basis should not exceed five percent of the paid-up value of convertible preference shares or convertible debentures of that series issued by the company concerned;
  - d. the paid-up value of warrants of any series purchased by any individual NRI on repatriation basis should not exceed five percent of the paid-up value of warrants of that series issued by the company concerned;

- e. the aggregate paid-up value of shares of any company purchased by all NRIs on repatriation basis should not exceed ten percent of the paid-up value of shares of the company and the aggregate paid-up value of each series of convertible preference shares or convertible debentures or warrants purchased by all NRIs should not exceed ten percent of the paid-up value of that series of convertible preference shares or convertible debentures or warrants;
  - Provided that the aggregate ceiling of ten per cent referred to in this clause may be raised to twenty-four per cent if a special resolution to that effect is passed by the General Body of the Indian company concerned;
- f. The NRI investor should take delivery of the shares/convertible preference shares/ convertible debentures /warrants and units purchased and give delivery of the same when sold;
- g. The investment shall be subject to the provisions of the FDI policy and Schedule 1 of these Regulations in respect of sectoral caps wherever applicable.

Explanation: 'Investment Vehicles' and 'Units' and shall have the same meaning as defined in sub-regulation (ii g) and (xi A) of Regulation 2 of these Regulations.

#### 2. Report to Reserve Bank

The reporting of transactions under this Schedule shall be made by the designated branch of the Authorised Dealer referred to in paragraph 1, in a manner specified by Reserve Bank of India.

# 3. Maintenance of accounts by an NRI for routing transactions for purchase and sale of shares / convertible debentures/ units, etc.

An NRI may open a designated NRE account (opened and maintained by Authorised Dealer bank in terms of the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000) for the purpose of investment under this scheme with a designated branch of an Authorized Dealer bank referred to in paragraph 1, for routing the receipt and payment for transactions relating to sale and purchase of shares /convertible preference shares/ convertible debentures/ warrants/ units under this Schedule. The designated account will be called an NRE (PIS) Account.

The designated branch shall ensure that sale proceeds of securities or units which have been acquired by modes other than Portfolio Investment Scheme such as underlying shares acquired on conversion of ADRs / GDRs, shares / convertible preference shares / convertible debentures /warrants acquired under FDI Scheme or purchased outside India from other NRIs or acquired under private arrangement from residents/non-residents or purchased while resident in India, do not get credited in the NRE (PIS) Account and vice-versa.

#### 4. Permitted Credits/ Debits in NRE(PIS)account Credits

- a. Inward remittances in foreign exchange though normal banking channels;
- b. Transfer from the NRI's other NRE accounts or FCNR (B) accounts maintained with Authorised Dealer in India;
- c. Net sale proceeds (after payment of applicable taxes) of shares / convertible preference shares /convertible debentures /warrants/ units acquired on repatriation basis under the Scheme and sold on stock exchange through registered broker; and
- d. Dividend or income earned on investment made on repatriation basis under the Scheme

## **Debits**

- a. Outward remittances of dividend or income earned;
- b. Amounts paid on account of purchase of shares /convertible preference shares/ convertible debentures / warrants/ units on repatriation basis on stock exchanges through registered broker under the Scheme; and
- c. Any charges on account of sale / purchase of securities or units under the Scheme.
- d. Remittances outside India or transfer to NRE / FCNR (B) accounts of the account holder of the NRI or any other person eligible to maintain such account.

#### 5. Saving

The existing NRO (PIS) accounts may be re-designated as NRO account."

D. Schedule 4 shall be substituted, namely

#### "Schedule-4

#### [See Regulation 5(3) (ii)]

#### Acquisition of Securities or units by a Non-Resident Indian (NRI), on Non-Repatriation basis

#### Permission to purchase

- A Non-resident Indian (NRI), including a company, a trust and a partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by non-resident Indians, may acquire and hold, on non-repatriation basis, equity shares, convertible preference shares, convertible debenture, warrants or units, which will be deemed to be domestic investment at par with the investment made by residents. Without loss of generality, it is stated that
  - a. An NRI may acquire, on non-repatriation basis, any security issued by a company without any limit either
    on the stock exchange or outside it.
  - b. An NRI may invest, on non-repartition basis, in units issued by an investment vehicle without any limit, either on the stock exchange or outside it.
  - c. An NRI may contribute, on non-repatriation basis, to the capital of a partnership firm, a proprietary firm or a Limited Liability Partnership without any limit.

Explanation: 'Investment Vehicles' and 'Units' and 'shall have the same meaning as defined in sub-regulation (ii g) and (xi A) of Regulation 2 of these Regulations.

#### **Prohibition on purchase**

2. Notwithstanding what has been stated in paragraph 1, an NRI shall not make any investment, under this Schedule, in equity shares, convertible preference shares, convertible debenture, warrants or units of a Nidhi company or a company engaged in agricultural/plantation activities or real estate business or construction of farm houses or dealing in Transfer of Development Rights.

**Explanation:** For the purpose of this paragraph, "Real estate business" means dealing in land and immovable property with a view to earning profit therefrom and does not include development of townships, construction of residential commercial premises, roads or bridges, educational institutions, recreational facilities, city and regional level infrastructure, townships. Further, earning of rent income on lease of the property, not amounting to transfer, will not amount to "real estate business". Investment in units of Real Estate Investment Trusts (REITs) registered and regulated under the SEBI (REITs) regulations 2014 shall also be excluded from the definition of "real estate business".

#### Method of payment for purchase

3. The consideration for investment under this Schedule shall be paid by way of inward remittance through normal banking channel from abroad or out of funds held in NRE/FCNR/NRO account maintained with a bank in India:

#### Sale/ Maturity proceeds

- 4. The sale/maturity proceeds (net of applicable taxes) of the securities or units acquired under this Schedule shall be credited only to NRO account irrespective of the type of account from which the considerations for acquisition were paid.
- 5. The amount invested under this Scheme and the capital appreciation thereon shall not be allowed to be repatriated abroad."

[ No. 1/1/EM/2016]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

**Foot Note:-** The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

C C D N - 025(E) 1-4-122 10 2002
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005

G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005 G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005 G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005 G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005 G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006 G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006 G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007 G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007 G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008 G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008 G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009 G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010 G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012 G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012 G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012 G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012 G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012 G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012 G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013 G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013 G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013 G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013 G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013 G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013 G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013 G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013 G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013 G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013

G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013 G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013 G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013 G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013 G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013 G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014 G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014 G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014 G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014 G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014 G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014 G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014 G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014 G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014 G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014 G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014 G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014 G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014 G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014 G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014 G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015 G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015 G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015 G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015 G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015 G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015 G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015 G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015

## अधिसूचना

मुंबई,15 फरवरी, 2016

#### सं.फेमा. 362/2016-आरबी

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली,2016

सा.का.नि.166(अ).-विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2016 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

#### 2. विनियम में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी) में,

(ए) विनियम 2 में खंड (vii A) के पश्चात और मौजूदा खंड (vii a) से पहले निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात :

" (vii AA) "विनिर्माण" शब्द का, उसकी व्याकरणिक विविधता सहित, तात्पर्य उस निर्जीव भौतिक पदार्थ अथवा चीज़ के स्वरूप में परिवर्तन से हैं, जो (ए) किसी एक पदार्थ अथवा वस्तु अथवा चीज़ से परिवर्तित होकर किसी नए और विशिष्ट पदार्थ अथवा वस्तु अथवा चीज़ के रूप में रूपांतरित हुआ है और जिसका नाम, स्वरूप और उपयोग अलग हो गया है अथवा (बी) किसी विशिष्ट और नए पदार्थ अथवा वस्तु अथवा चीज़ को भिन्न रसायनिक बनावट अथवा अभिन्न संरचना के रूप में बनाया गया हो।"

#### (बी) विनियम 14 में,

- (ए) उप-विनियम 1 में, खंड (i) और खंड (ia) को निम्नवत रूप में संशोधित किया गया है :
- "(i) इस विनियम के उद्देश्य से, 'स्वामित्व और नियंत्रण' अभिव्यक्ति का अर्थ निम्न प्रकार है और वह निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करता है
  - (ए) किसी कंपनी को तभी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनी समझा जाएगा जब उसके 50% से अधिक पूंजी का लाभप्रद स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों और/अथवा ऐसी भारतीय कंपनियों के पास हो, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण मूलभूत रूप से निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो। सीमित देयता भागीदारियों (LLP) को तभी निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली सीमित देयता भागीदारी (LLP) माना जाएगा जब उसमें 50% से अधिक निवेश निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाए और / अथवा ऐसी एंटीटी जिनका 'स्वामित्व और नियंत्रण' मूलभूत रूप से निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो और ऐसे निवासी भारतीय नागरिकों और तथा एंटिटियों के पास अधिकांश प्रॉफिट शेयर हों।
  - (बी) कोई कंपनी जिस पर अनिवासियों का स्वामित्व है अर्थात ऐसी भारतीय कंपनी जिसका स्वामित्व निवासी भारतीय नागरिकों के पास नहीं है।
  - (i ए) "नियंत्रण" में अधिकतम निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार शामिल है अथवा शेयर होल्डिंग अथवा प्रबंध अधिकार अथवा शेयरहोल्डर एग्रीमेंट अथवा वोटिंग एग्रीमेंट से प्राप्त प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों का नियंत्रण शामिल है।
  - स्पष्टीकरण : सीमित देयता भागीदारियों (LLP) के प्रयोजन से, 'नियंत्रण' का तात्पर्य अधिकतम नामित भागीदारों की नियुक्ति के अधिकार से है, जहां उक्त सीमित देयता भागीदारी (LLP) की नीतियों पर ऐसे नामित भागीदारों का, अन्य भागीदारों के विशिष्ट अपवर्जन सिहत, समग्र नियंत्रण हो।

## (बी) उप-विनियम 3 में, खंड (iv) के मौजूदा उप-खंड (डी) को संशोधित किया गया है, अर्थात :

- <sup>•</sup>डी) सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में, जहां सेकटोरल कैप 49% है, वहाँ कंपनी का 'स्वामित्व और नियंत्रण' निवासी भारतीय नागरिकों के पास तथा भारतीय कंपनियों, जिनका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना आवश्यक है ।
- (ए) इस प्रयोजन के लिए, सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (72) में यथा परिभाषित लोक वित्त संस्थानों, जैसा भी मामला हों, को छोडकर सर्वाधिक शेयरधारक भारतीय द्वारा धारित शेयर कुल एक्विटी के कम से कम 51% होने चाहिए। इस खंड में उल्लिखित 'सर्वाधिक शेयरधारक भारतीय' में निम्नलिखित में से कोई एक अथवा उनका समुह शामिल है:
- (i) किसी एक व्यक्ति के शेयरधारक होने के मामले में,
  - (एए) व्यक्तिगत शेयरधारक,
  - (बीबी) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में दिये गए अर्थ के दायरे में शामिल शेयरधारक का रिश्तेदार,
  - (सीसी) कोई कंपनी / कंपनी-समूह से संबन्धित व्यक्तिगत शेयरधारक / हिन्दू अविभक्त परिवार, जिसमें उसके प्रबंध और नियंत्रण हित शामिल हैं।
  - (ii) भारतीय कंपनी के मामले में,

(एए) कोई भारतीय कंपनी

(बीबी) एक ही प्रबंधन एवं स्वामित्व नियंत्रण के तहत आने वाली भारतीय कंपनियों का समूह

(बी) इस खंड के प्रयोजन के लिए 'भारतीय कंपनी' वह कंपनी होगी, जिसमें निवासी भारतीय अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में यथा परिभाषित रिश्तेदार / हिन्दू अविभक्त परिवार की एकल अथवा सामृहिक शेयरधारिता कम से कम 51% हो।

(सी) बशर्ते कि उपर्युक्त खंड (i) एवं (ii) में उल्लिखित एक या सभी एंटिटीयों के समूह के मामले में आवेदक कंपनी के मामलों के प्रबंधन हेत् प्रत्येक पार्टी का आपस में विधिक रूप से बाध्यता के संबंध में करारबद्ध होना आवश्यक है।"

## (सी) मौजूदा उप-विनियम 5 को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है, अर्थात :

"सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, भारतीय कंपनियों की स्थापना / निवासी नागरिकों से अनिवासी एंटिटियों को स्वामित्व अंतरण अथवा भारतीय कंपनी के नियंत्रण के संबंध में दिशानिर्देश

सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत विनिर्दिष्ट क्षेत्रों / गतिविधियों में किए जाने वाले विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन के अधीन होंगे जहां :

- (i) कोई भारतीय कंपनी जो विदेशी निवेश के साथ स्थापित हुई है और जिस पर निवासी एंटिटी का स्वामित्व नहीं है, अथवा
- (ii) कोई भारतीय कंपनी जो विदेशी निवेश के साथ स्थापित हुई है और जो निवासी एंटिटी द्वारा नियंत्रित नहीं है, अथवा
- (iii) कोई भारतीय कंपनी, जो फिलहाल निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में है/उनके द्वारा नियंत्रित है और ऐसी कंपनियों के स्वामित्व व नियंत्रण में है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है, के समामेलन, विलयन/विलगाव, अधिग्रहण, आदि के कारण अनिवासी एंटिटियों को शेयरों के अंतरण/नए शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप कंपनी का नियंत्रण अनिवासियों को अंतरित हुआ/होता है, अथवा
- (iv) कोई भारतीय कंपनी, जो फिलहाल निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में है / उनके द्वारा नियंत्रित है और ऐसी कंपनियों के स्वामित्व व नियंत्रण में है जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है, के समामेलन, विलयन/विलगाव, अधिग्रहण, आदि के कारण अनिवासी एंटिटियों को शेयरों के अंतरण/नए शेयर जारी करने के परिणामस्वरूप कंपनी का स्वामित्व अनिवासियों को अंतरित हुआ/होता है, अथवा
- (v) यह प्रमाणित किया जाता है कि विदेशी निवेशों में सभी विदेशी निवेश शामिल हैं जसे : प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेशकों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों, QFI, अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश, एडीआर, जीडीआर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB) और पूर्णतः, अनिवार्यतः, और अधिदेशात्मक परिवर्तनीय प्रेफ्रेंस शेयर / डिबेंचर तथा इस प्रकार के सभी निवेश, भले ही वे विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली की धारा 1, 2, 2ए, 3, 6, 8, 9, एवं 10 के अंतर्गत किए गए हो अथवा न हो।
- (vi) अनिवासी भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की धारा 4 के अंतर्गत किए गए निवेशों को निवासियों द्वारा किए गए घरेलू निवेश के समान माना जाएगा।
- (vii) कोई कंपनी, ट्रस्ट, एवं भागीदारी फ़र्म जो भारत से बाहर निगमित है और जिसका स्वामित्व और नियंत्रण अनिवासी भारतीयों के पास है, वह विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की धारा 4 के अंतर्गत निवेश करने के लिए पात्र होगी और ऐसे निवेश को भी निवासियों द्वारा किए गए घरेलू निवेश के समान माना जाएगा।"

## (डी) उप-विनियम 6 में, मौजूदा खंड (ii) को संशोधित किया गया है, अर्थात:

"(ii) भारतीय कंपनियों / सीमित देयता भागीदारियों (LLPs) द्वारा किए गए डाउनस्ट्रीम निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :

- ए. ऐसी कंपनियों / सीमित देयता भागीदारियों (LLPs) को अपने नए एवं वर्तमान वेंचरों (विस्तार कार्यक्रम के साथ अथवा उसके अलावा) सहित अपने डाउनस्ट्रीम निवेशों की सूचना विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की वैबसाइट <a href="https://fipbindia.com">https://fipbindia.com</a> पर उपलब्ध फॉर्म में निवेश के 30 दिनों के भीतर SIA, DIPP और FIPB को देनी होगी, भले ही इसमें पूंजीगत लिखत आवंटित न की गई हो;
- बी. वर्तमान भारतीय कंपनी में विदेशी इक्विटी के प्रतिफल के माध्यम से डाउनस्ट्रीम निवेश कंपनी के जिदेशक बोर्ड के संकल्प द्वारा समर्थित हों और शेयरधारक-करार, यदि कोई हो, भी होना चाहिए;
- सी. शेयरों का निर्गम / अंतरण / कीमत-निर्धारण / मृल्यांकण आदि सेबी / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अंतर्गत हो;
- डी. डाउनस्ट्रीम निवेश के उद्देश्य से, भारीय कंपनियों / सीमित देयता भागीदारियों (LLPs), जो डाउनस्ट्रीम निवेश कर रही है, को विदेश से आवश्यक निधियाँ लाना अपेक्षित है, न कि घरेलू बाज़ार से लीवरेज के माध्यम से निधियाँ जुटनी हैं। हालांकि, इसके कारण घरेलू बाज़ार में कर्ज़ जुटाने से डाउनस्ट्रीम कंपनियों / सीमित देयता भागीदारियों (LLPs) को अपने प्रचलनों में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। आंतरिक उपचय के माध्यम से डाउनस्ट्रीम निवेशों की अनुमित है (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उद्देश्य से, आंतरिक उपचय का अर्थ लागू करों के भुगतान के पश्चात प्राप्त लाभ का रिज़र्व फंड में अंतरण करने से है), बशर्ते वह उपर्युक्त खंड (i) के अधीन होगी और उसे नीचे विस्तार से वर्णित किया गया है:
  - ए. ऐसी भारतीय कंपनी में निवेश, जो केवल अन्य भारतीय कंपनी/यों की पूंजी में निवेश संबंधी गतिविधियों से जुड़ी हैं, को विदेशी निवेश की राशि अथवा सीमा पर ध्यान दिए बगैर सरकार / विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से पूर्वानुमित प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु अनुमोदित गतिविधियों को संचालित कर रही हैं, में विदेशी निवेश इस विनियमावली की अनुसुची-। के अनुलग्नक बी में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होंगे।
  - बी. वे सभी कंपनियाँ, जो कोर इनवेस्टमेंट कंपनियाँ (CICs) हैं, को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोर इनवेस्टमेंट कंपनियों (CICs) हेतु निर्धारित किए गए विनियामक ढांचे का भी अनुपालन करना होगा।
  - सी. स्वचालित मार्ग के तहत विनिर्दिष्ट गतिविधियों के संचालन के लिए एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शर्तों के लिए निर्धारित परफॉरमेंस शर्तों को जोड़े बिना, ऐसी भारतीय कंपनियाँ जिनका कोई प्रचालन तथा कोई डाउनस्ट्रीम निवेश नहीं है, को स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश प्राप्त करने हेतु की अनुमति है। हालांकि, ऐसी कंपनियों को सरकारी मार्ग के तहत अंतर्विष्ट गतिविधियों के संचालन हेतु विदेशी निवेश की राशि अथवा सीमा पर ध्यान दिए बगैर विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। आगे, जब भी ऐसी कंपनियां अपना कारोबार शुरू करेंगी तब उन्हें प्रवेश मार्ग पर संबन्धित सेक्टोरल कैप की निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं का अनुपालन करना होगा।
  - नोट : अन्य भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश, प्रवेश मार्ग पर निवेश से संबन्धित सेक्टोरल शर्तों एवं कैप की सीमाओं के अनुपालन के अधीन होगा ।
- ई) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त कर्ता भारतीय कंपनी प्रथमतः जिम्मेदार होगी कि वह अपने सांविधिक लेखापरीक्षक से अपने डाउनस्ट्रीम निवेशों के मामले में एफ़डीआई संबंधी दिशानिर्देशों जैसे: प्रतिबंधित क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश न होने दें, प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल कैप /शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। दूसरे स्तर पर सभी प्रकार के डाउनस्ट्रीम निवेशों के संबंध में अपने संविधिक लेखापरीक्षक से वार्षिक आधार पर फेमा प्रावधानों के अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त करें। भारतीय कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट वाले हिस्से में इस तथ्य का उल्लेख होना चाइए कि डाउनस्ट्रीम निवेशों के मामले में कंपनी ने मौजूदा फेमा प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में अपने संविधिक लेखापरीक्षक से प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है। संविधिक लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी को फेमा प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में क्वालिफ़ाइड रिपोर्ट दिये जाने पर कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के विदेशी मुद्रा विभाग को इस बारे में तत्काल सूचित करें, जिसके अधिकार-क्षेत्र में उस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, और इस सूचना के संबंध में वह रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय से पावती प्राप्त कर लें। संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय इस बारे में कार्यवाही रिपोर्ट फ़ाइल कर के इसे प्रधान मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह रोड, मुंबई 400001 को भेजेंगे।"

## सी. अनुसूची 1में,

- (i) पैराग्राफ 2में, "बशर्ते यह भी कि शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर ....." शब्दों से शुरू होकर "....विनियम 14 में दी गई सीमा तक अनुमत" शब्दों से खत्म होने वाले पैराग्राफ को हटाया गया है।
- (ii) पैराग्राफ 2 में, उप-पैराग्राफ 4 में, खंड (iv) के पश्चात निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात :

"(v) स्वाप शेयरों द्वारा, बशर्ते ऐसे निवेश स्वचालित मार्ग वाले क्षेत्रों में पंजीकृत किसी कंपनी में किए गए हों और ऐसे निवेशो से संबद्ध, भले ही इनकी निवेश-राशि कुछ भी क्यों न हो, स्वाप एग्रीमेंट में शामिल शेयरों का मूल्यांकन सेबी के पास पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर अथवा भारत से बाहर के मामले में मेजबान देश की किसी नियामक संस्था के पास पंजीकृत किसी निवेश बैंकर द्वारा किया जाए।

नोट :ऐसे क्षेत्र से संबद्ध कोई कंपनी, जिसमें विदेशी निवेश सरकारी अनुमोदन पर ही अनुमत है, सरकारी अनुमोदन प्राप्त कर के अनिवासियों को स्वाप के माध्यम से शेयर जारी कर सकती है।"

- (॥) पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ (सी) को हटाया गया है
- (iv) 'अनुबंध-बी' मौजूदा टेबल को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

## विभिन्न क्षेत्रों (सेक्टरों) में विदेशी निवेश की उच्चतम सीमाएं (Caps) एवं प्रवेश (entry) मार्ग

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कैप का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग	
कृषि				
1	कृषि और पशुपालन			
	ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, मधुमक्खी-पालन	100%	स्वचालित	
	तथा सब्जियों और मशरूम की खेती;			
	बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन;			
	सी) नियंत्रित परिस्थितियों में पशुपालन (श्वान प्रजनन सहित), मछली-			
	पालन, जलीय कृषि (क्वाकल्चर); और			
	डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं ।			
	टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, अन्य किसी कृषि क्षेत्र / गतिविधि में			
	एफडीआई की अनुमति नहीं है।			
1.1	अन्य शर्तै:			
	'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती	<del>है</del> :		
	(i) पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेर्त			
	खेती करने का एक तरीका है जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु-आर्द्रता और खेती की विधियों (culture) क			
	कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली			
	हाउस से या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं – जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से			
	नियंत्रित किया जाता है।			
	(ii) पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली इन			
	(ए) स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत पशु-पाल	नः गहन खेती-बाड़ी प्रणावि	लेयों के तहत जलवायु	
	प्रणालियां (हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ	य देखभाल और पोषण, झुंः	ड पंजीकरण/वंशावली	
	रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षि	त होंगी जैसाकि राष्ट्रीय	पशु नीति 2013 में	
	विनिर्दिष्ट है तथा उन्हें मौजूदा "मानक परिचालन प्रणालियों एवं न्यूनत	म मानक अपेक्षाओं के अनुर	रूप होना चाहिए।	
	(बी) मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर,	हवा-रोशनी (वेंटिलेशन) प्र	णालियों आदि जैसी	
	उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है।			
	(iii) मत्स्यपालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के	तहत' शब्द इन्हें कवर करत	π है:	
	(ए) मछलीघर (अक्वेरियम)			
	(बी) हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है औ		` `	
	निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ एक समार है।	वृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरप	ण में उन्हें सेया जाता	

	(iv) मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हे	 हें कवर करता है:	
	(ए) कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/वनों क		। तापमानों के साथ और
	जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम फीडिंग द्वारा मधुमक्खी पाल		
2.	वृक्षारोपण		
2.1	i. चाय बागान क्षेत्र के तहत चाय की खेती शामिल है	100%	स्वचालित मार्ग
	ii. कॉफी का वृक्षारोपण		
	iii. रबड़ का वृक्षारोपण		
	iv. इलाइची का वृक्षारोपण		
	v. पाम-तेल के पेड़ों का वृक्षारोपण		
	_		
	vi. ऑलिव ऑइल के पेड़ों का वृक्षारोपण		
	   नोट : वृक्षारोपण के मामलों में उपर उल्लिखित क्षेत्रों / गतिविधियों के		
	अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र में एफ़डीआई की अनुमति नहीं है।		
2.2	अन्य शर्ते		
	भविष्य में भूमि-उपयोग में किसी भी प्रकार के बदलाव के मामले में संबन्धि	। त राज्य सरकार से	। पूर्वानुमोदन प्राप्त करना
	आवश्यक है।		
3.	खनन		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत	100%	स्वचालित
	धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का, जिनमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, और		
	मूल्यवान अयस्क शामिल हैं, खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए		
	जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया		
	है।		
3.2	कोयला और लिग्नाइट		
	(1) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के	100%	स्वचालित
	तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन ऊर्जा परियोजनाओं,		
	लोहा, इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा		
	आबद्ध उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन ।		
	(2) वॉशरीज़ जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना बशर्ते कंपनी	100%	स्वचालित
	कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले या अपने कोयला		
	प्रसंस्करण संयत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं		
	करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन पक्षों को करेगी		
	जो वॉशिंग या साइजिंग के लिए कोयला प्रसंस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं।		
3.3	टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इस	। यका मल्यवर्धन करन	 ॥ और प्रकीकत
	गतिविधियां	तमा पूरपपदा गरा	॥ आर ९५० हुल
3.3.1	क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन)	100%	सरकारी
	अधिनियम, 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और		
	   अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मृल्यवर्धन करना और		
	c - 1 / C - 1	I	1
	एकीकृत गतिविधियां		

(i) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक करने के लिए एफडीआई निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी, (ए) प्रौद्यागिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत के भीतर स्थापित की जाएंगी; (बी) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटान परमाण् ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों जैसे : परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 के अनुसरण में किया जाएगा। (ii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ. 61(अ) में सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण: i. इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे टाइटेनियम वाले अयस्कों के लिए टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज के निर्माण से मुल्यवर्धन होता है। इल्मेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम स्लैग' जैसा मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। ii. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग डाउनस्ट्रीम उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (i) (ए) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस 4. स्वचालित 4.1 तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां, पेट्रोलियम उत्पादों 100% और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी पुन:गैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार अध्ययन और फार्मलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामक फ्रेमवर्क और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी। मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी प्रकार के विनिवेश या उनकी स्वचालित 4.2 49% देशी इक्विटी को कम किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेटोलियम परिशोधन। विनिर्मान (मैनुफैक्चरिंग) 100% स्वचालित 5. एफ़डीआई नीति के प्रावधानों की शर्तों के अधीन रहते हुए 'विनिर्मान (मैन्फैक्चरिंग)' क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश की अनुमति है। यह भी कि, विनिर्माता सरकारी अनुमोदन के बिना भी अपने उत्पादों को ई-कॉमर्स सहित थोक / रीटेल सेल के माध्यम से बेच सकता है। 6. रक्षा 49% तक सरकारी मार्ग से। 6.1 रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत 49% 49% से अधिक सुरक्षा संबंधी औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है। कैबिनेट कमिटी द्वारा. मामले-दर-मामले के आधार पर, जहां इससे देश में आधुनिक और आत्यानिक तकनीक तक पहुँच हो संभव हो सकती है।

6.2	अन्य शर्ते			
	i. अनुमत स्वचालित मार्ग के स्तर पर ऐसी कंपनी में नया विदेशी निवे	। शि प्राप्त करना	, जो औद्योगिक लाइसेन्स नहीं	
	चाहती है, किन्तु उसके स्वामित्व का प्रकार बदलने अथवा मौजूदा निवेशक की कंपनी में हिस्सेदारी नए विदेशी			
	निवेशक को अंतरित करने के परिणाम स्वरूप फ्रेश निवेश के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा।			
	ii. लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक			
	नीति एवं संवर्द्धन विभाग ,वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएं iii. इस क्षेत्र में विदेशी निवेश की अनुमति रक्षा मंत्रालय द्वारा सुरक्षा संबंध		भ राजे निवासिकों ने अधीर	
	III. इस क्षेत्र म ।वदशा ।नवश का अनुमात रक्षा मत्रालय द्वारा सुरक्षा सबैध   होगी ।	त्रा ।क्लयरस तः	या उनकादशानिदशाक अधान	
	iv. निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए कि वह उत्पाद डिजाइन एवं विकास के मामले में			
	आत्मनिर्भर हो। उत्पादन सुविधा सहित निवेश प्राप्तकर्ता/संयुक्त उद्य	-		
	मेंटिनेंस एवं लाइफ साइकिल सपोर्ट की भी सुविधा होनी चाहिए।			
सेवा क्षेत्र				
सूचना सेवाएँ				
7	प्रसारण			
7.1	प्रसारण वाहक सेवाएं	T	T	
7.1.1	(1) टेलीपोर्ट (अप-लिंकिग एचयूबी/टेलीपोर्ट की स्थापना)	100%	49% तक स्वचालित मार्ग	
	(2) डायरेक्ट टू होम (डीटीएच)		49% से अधिक के लिए	
	(3) केबल नेटवर्क (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करने		सरकारी मार्ग	
	वाले और डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडशन			
	का काम करनेवाले मल्टीज सिस्ट म ऑपरेटर (एमएसओ) (4) मोबाइल टीवी			
	(क) साथाइल टाया (5) हेड एंड-इन-द-स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (एचआईटीएस)			
7.1.2	केबल नेटवर्क (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और अड्रेसबिलिटी के	100%	49% तक स्वचालित मार्ग ।	
1.1.2	लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल	100%	49% से अधिक के लिए	
	ऑपरेटर (एलसीओ)).		सरकारी मार्ग	
7.2	प्रसारण विषयक सेवाएं		W. C.	
7.2.1	क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो),	49%	सरकारी मार्ग	
	एफ एम रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व			
	शर्तों के अधीन होगी जिन्हेंद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-			
7.2.2	समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।  "समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले" टी वी चैनलों की	49%	सरकारी मार्ग	
	अपलिंकिंग	4370		
7.2.3	"गैर समाचार एवं सम-सामयिक मामले दर्शाने वाले" टीवी चैनलों की	100%	स्वचालित मार्ग	
	अप-लिंकिंग / टीवी चैनलों की डाउन-लिंकिंग			
7.3	टीवी चैनलों की अप-लिंकिंग/डाउन-लिंकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सूच		मित्रालय द्वारा समय-समय पर	
7.4	अधिसूचित सुसंगत अप-लिंकिंग/डाउन-लिंकिंग नीति के अनुपालन के अधीन उपर्युक्तर वर्णित सभी सेवाओं में संलग्नि कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई	`	विनियमों और नियमों व शर्तों के	
7.7	अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए हों।			
7.5	ुर्पर्यक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (FI) व			
	विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII), विदेशी पोर्टफालियो निवेशकों (FPIs		•	
	परिवर्तनीय बॉन्ड (FCCB), [इन विनियमों की अनुसूची 10 के अंतर्गत	•		
	अथवा अनिवार्यतः और अधिदेशात्मक रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर		*	
	परिवर्तनीय डिबेंचर अथवा वारंट अथवा अन्य कोई प्रतिभूति जिसमें मृ		= ::	
	अंतर्लियित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है] ग्लोबल निक्षेपागार	रसीदें (GDF	Rs) और विदेशी एंटिटीज द्वारा	
	धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर शामिल होंगे।]			

7.6 उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों/नियमों के अधीन होगा:

## कंपनी के प्रमुख कार्यपालकों के लिए अधिदेशात्मक अपेक्षा

- (i) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।
- (ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), तकनीकी नेटवर्क परिचालन के प्रभारी मुख्य् अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

## कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन

(iii) कंपनी, निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकों और ऐसे किसी प्रमुख कार्यपालकों जैसे प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी(सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (CSO) मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), कंपनी में वैयक्तिक रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी रखने वाले शेयरधारकों या जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी से अपेक्षित होगा कि वे सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करें।

कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी(COO) आदि जैसे प्रमुख कार्यपालकों की नियुक्ति के मामले में ,सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

कंपनी के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह निदेशक बोर्ड में कोई परिवर्तन करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करे।

(iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख-रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों की उनके अभिनियोजन से पहले सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।

## अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन

- (v) यह अनुमित, अनुमित धारक /लाइसेंसी द्वारा अनुमित की वैधता-अविध के दौरान सुरक्षा अनुमोदन बरकरार रखे जाने के अधीन होगी। सुरक्षा अनुमोदन वापस लिए जाने की स्थिति में दी गई अनुमित तत्काल खत्म की जा सकती है।
- (vi) अनुमित धारक/लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमित धारक/लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग-पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमिति/लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अविध के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमिति/लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।

## इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क/सॉफ्टवेअर संबंधी अपेक्षा

- (vii) लाइसेंसी कंपनी के अधिकारी/पदाधिकारी, जो सेवाओं के विधिसम्मत अवरोधन से संबंधित हैं , भारतीय नागरिक होंगे।
- (viii) इन्फ्रास्ट्रक्चर/नेटवर्क डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे )से संबंधित विवरण, केवल आवश्यक होने पर, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसी कंपनी की संबद्ध संस्था को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना किसी अन्य को दी जानी हो तो इसके लिए लाइसेंस-प्रदाता का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (ix) जब तक सुसंगत कानून द्वारा अनुमत न हो, कंपनी ग्राहक का डेटाबेस भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी।
- (x) कंपनी अपने ग्राहकों की ऐसी पहचान अवश्य उपलब्ध कराएगी जिसका पता लगाया जा सके।

#### सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण

- (xi) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके उपकरण में ऐसे आवश्यक प्रावधान (हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर) उपलब्ध हों जिससे सरकार द्वारा जब कभी अपेक्षित हो किसी केंद्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी की जा सके।
- (xii) कंपनी सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के तहत या उनके द्वारा प्रसारण सेवा की सतत निगरानी के लिए अपने खर्चे पर निर्दिष्ट स्थान(नों )पर आवश्यक उपकरण, सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
- (xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण

करने का अधिकार होगा। सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए किसी पूर्व अनुमति/सुचना की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों से अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी गतिविधियों और परिचालनों के किसी विशेष पहलु की सतत निगरानी के लिए सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तथापि, सतत निगरानी केवल सुरक्षा से जुड़े पहलुओं तक सीमित होगी जिसमें आपत्तिजनक विषय की स्क्रीनिंग शामिल है। (xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे। (xv) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी सेवाओं से संबंधित ऐसी कोई सुचना समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए फार्मेट में प्रस्तुत करेगी। (xvi) अनुमतिधारक /लाइसेंसधारी भारत सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ट्राई (TRAI) या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्टें, खाते, प्राककलन, विवरणियां या ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी अपेक्षित आवधिक अंतरालों पर या अपेक्षित समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सेवा प्रदाताओं को सरकार के नामित पदाधिकारियों/ट्राई(TRAI) के पदाधिकारियों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों )को अपनी प्रणालियों के परिचालन/विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित करना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें (xvii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक /लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। (xviii) कंपनी किसी ऐसे उपकरण का आयात/उपयोग नहीं करेगी, जो गैर कानूनी और /या नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो। अन्य शर्ते (xix) लाइसेंसकर्ता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में या प्रसारण सेवाओं के उचित प्रावधान के लिए इन शर्तों में आशोधन करने या आवश्यक समझी जाने वाली नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार होगा। (xx) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रसारण सेवा संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता हो। प्रिंट मीडिया 8. समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र 8 1. 26% सरकार और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी 8 2. 26% सरकार पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन 8.2.1 अन्य शर्ते (i) इन दिशा-निदेशों के उद्देश्य से, 'पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर-दैनिक आधार पर प्रकाशित करने वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है। (ii) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा-निर्देशों के भी अधीन होगा। वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका/विशेषज्ञता वाले जर्नल/ नियतकालिक सरकार 100% 8.3 पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक ढांचे और इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा विदेशी समाचार-पत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन सरकार 100% 8.4

## अन्य शर्ते 8.4.1 (i) एफडीआई मुल विदेशी समाचार-पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है। (ii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है। (iii) विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार-पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार-पत्रों के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने पर सुचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.2006 को जारी और समय समय पर यथासंशोधित दिशा-निर्देशों के अधीन होगा। 9. नागरिक उड्डयन 9.1 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं/समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख-रखाव और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। नागरिक उड़्यन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए : 'हवाई अड्डा' से तात्पर्य है विमान के उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र जहां सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधाएं होती हैं और एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 2के खंड (2) में परिभाषित एरोड़ोम भी शामिल है। "एरोड़ोम" का तात्पर्य विमान के उतरने और उड़ान भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी (ii) जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन, शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं। "हवाई अड्डा परिवहन सेवा" का तात्पर्य पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक या अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हो। "हवाई परिवहन उपक्रम" का तात्पर्य उस उपक्रम से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है। "विमान के घटक" का तात्पर्य कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढ़ता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है। "हेलिकॉप्टर" का तात्पर्य वस्तुत :ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटर की मदद से उड़ान भरने वाला वायु से भारी विमान से है। "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन (vii) सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापुर्वक व्यवस्थित श्रृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो। "गैर-अनुसचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसुचित हवाई परिवहन सेवा न हो और (viii) इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है। "कार्गो एयरलाइने" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड़यन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो; "समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य (x) तौर पर सक्षम हो; "ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i) रैंप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैंडलिंग, दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर वैमानिकी सुचना परिपत्र के माध्यम से विनिर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और (iii ) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि। 9.2 एयरपोर्ट

-					
	(ए) ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	स्वचालित मार्ग		
	(बी) मौजूदा परियोजनाएं	100%	74%तक स्वचालित मार्ग से। 74% से अधिक के मामले में सरकारी मार्ग से		
9.3	हवाई परिवहन सेवाएं				
	(1)(ए) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री	49%	स्वचालित		
	सेवा (बी) क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवाएँ	(NRI के लिए100%)			
	(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	100%	स्वचालित		
	(3)हेलीकॉप्टर सेवा/समुद्री विमान सेवाएँ जिनके लिए नागर	100%	स्वचालित		
	विमानन महानिदेशालय (DGCA) का अनुमोदन आवश्यक है				
9.3.1	अन्य शर्ते				
	   ए) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर-ः	अनसचित हवाई परि	वहन सेवाएं. हेलीकॉप्टर और		
	समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं।	.3 % 6			
	बी) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और				
	समुद्री विमान को परिचालित करने वाली कंपनी की इक्विटी में भागीदा				
	सी) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय				
	कंपनियों की पूंजी में उनकी चुकता पूंजी के 49% की सीमा तक निवेश करने की भी अनुमति है। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे :				
	(i) यह सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा।				
	(ii) 49% की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश / एफपीआई    निवेश शामिल होंगे।				
	(iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी				
	(आईसीडीआर) विनियमों/शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ-साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा।				
	(iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं:				
	ए) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत	में है;			
	बी) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नाग	रिक हों, और			
	सी) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी	-			
	(v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनूर् सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती से पहले सुरक्षा संबंधी क्लियरेंस लेना	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	न सेवाओं के साथ जुड़ने वाले		
	(vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित होने वाले सभ		ो उपकरणों के लिए नागरिक		
	उड्डयन मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अ		r o rechi e ing minor		
	टिप्पणी: (i) उपर्युक्त पैरा 9.3.1 और 9.3.2 में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी	_	मार्ग, उन स्थितियों में लागू है		
	जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो।				
	(ii) 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के संबंध में अनिवासी भार	रतीयों को प्राप्त छूट	उपर्युक्त मद 9.3.1(सी) (ii) में		
	विनिर्दिष्ट निवेश क्षेत्र / दायरे पर भी लागू बनी रहेगी।				
	(iii) उपर्युक्त मद 9.3.1(सी) में उल्लिखित नीति मेसर्स एयर इंडिया लि	Ţ, , ,	<u> </u>		
9.3.2	अनुसूचित तथा गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के परिचालन करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में विदेशी एयरलाइनों द्वारा निवेश	49% (एनआरआ लिए 100%)	ई के सरकारी		

9.4	नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तहत अन्य सेवाएं			
	(1) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और	100%	स्वचालित	
	सुरक्षा अनुमोदन के अधीन			
	(2)अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और	100%	स्वचालित	
	तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान			
10.	पैकेज, पार्सल और अन्य मदों को ले जाने वाली कूरियर सेवाएं जो	100%	स्वचालित	
	भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के दायरे में नहीं आती हैं, पत्रों के			
	वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर			
11.	निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट-अप बुनियादी संरचना			
11.1	निर्माण विकास परियोजनाएं (जिनमें टाउनशिप का विकास, आवास /	100%	स्वचालित	
	वाणिज्यिक परिसर, सड़क अथवा पुलों, होटलों, रिसॉर्ट्स, अस्पतालों,			
	शैक्षिक संस्थानों, मनोरंजन की सुविधाओं का निर्माण, शहर और			
	क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं)			
11.2	निर्माण परियोजनाओं के प्रत्येक फेज़ को एफ़डीआई नीति के अनुसार नय	। गी परियोजना ग	 माना जाएगा। जो निम्नलिखित	
	शर्तों के अधीन होगा:		·	
	(ए) (i) निवेशक को परियोजना पूरी होने अथवा बुनियादी (trunk) इ			
	ड्रेनेज एवं सीवेज के विकास के बाद परियोजना से बाहर जाने की	ो अनुमति दी	जाएगी। प्रत्येक परियोजना के तहत	
	न्यूनतम विकसित किया जाने वाला क्षेत्र निम्नवत होगा:	· ·		
	(ii) उपर्युक्त (ए) (i) में उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी,		*, *	
	पूर्व निवेशक अपने विदेशी निवेश को एक्जिट अथवा प्रत्यावर्तित व	~		
	की गई लॉक-इन अवधि पूरी हो गई हो। इसके अलावा निवेश की			
	दूसरे अनिवासी को उसके हिस्सेदारी (stake) के अंतरण के लिए न तोलॉक-इन अवधि की शर्तें लागू होंगी और न			
	सरकारी अनुमोदन की।	- <del></del>	t	
	(बी) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों विनियमों के अनुसार भूमि के उपयोग संबंधी			
	स्विधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होग		ति सामुक्तायक सुविधाला आर जान	
	(सी) भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी को केवल विकसित भूखंड बे		ते होगी। इस नीति के प्रयोजनार्थ	
	"विकसित भूखंड" का अभिप्राय ऐसे भूखंड से है जहां बुनियादी	ं इंफ्रास्ट्र <del>वचर</del> ः	अर्थात जैसे सड़क, जलापूर्ति, स्ट्रीट	
	लाइटिंग, ड्रेनेज एवं सीवेज की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हों।			
	(डी) भारतीय निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर	ने के लिए जिम्	मेदार होगी जिनमें इमारत/ले-आउट	
	योजना(प्लान), आंतरिक और आस-पास के क्षेत्रों (peripherial a	reas) और अ	न्य बुनियादी सुविधाओं का विकास,	
	विकास, बाह्य विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान, संबंधित रा	ज्य सरकार/नग	ारपालिका/स्थानीय निकाय के लागू	
	नियमों/उप विधियों/ विनियमों में विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं ब	का अनुपालन श	ामिल होगा।	
	(अ) इमारत/डेवलपमेंट प्लान को अनुमोदन/मंजूरी प्रदान करने वाल	ी संबंधित र <u>ा</u>	ज्य सरकार/ नगरपालिका/स्थानीय	
	निकाय डेवलपर द्वारा उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन किए जाने की नि	नेगरानी करेगी।		
	नोट: (i) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किसी ऐसी	कंपनी (एंटिटी	) में अनुमत नहीं है जो रियल इस्टेट	
	कारोबार, फार्म हाउसों के कंस्ट्रक्शन एवं अंतरणीय विकास स्वत्वाधिक	गर (TDRs) मे	ों संलग्न हो अथवा उसमें संलग्न होने	
	का प्रस्ताव करती हो।			
	'रियल इस्टेट कारोबार' का अभिप्राय वही है जो भारतीय रिज़र्व बैंक			
	अधिसूचना सं. फेमा.1/2000-आरबी में दिया गया है अर्थात भूमि और			
	अर्जन के दृष्टिकोण से किया जाता हो एवं इसमें टाउनशिप का विका			
	पुलों, शैक्षिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, नगर और क्षेत्रीय स्तर के इ	रन्फ्रा, टाउनशिष	<ul><li>निर्माण शामिल नहीं हैं।</li></ul>	
	(ii) उपर्युक्त मद (ए) की शर्तें होटल और टूरिस्ट रिज़ॉर्ट; अस्पतालों; विः	शेष आर्थिक क्षेत्र	त्रों; शैक्षिक संस्थाओं; वृद्धाश्रमों और	
	अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के संबंध में लागू नहीं ह	ोंगी।		

- (iii) परियोजना की पूर्णता स्थानीय उप-विनियमों / नियमों और राज्य सरकार के अन्य विनियमों के अनुसार परिभाषित होगी ।
- (iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि टाउनिशप, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिज़नस सेंटर की पूर्ण परियोजनाओं के परिचालन और प्रबंधन के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमित है। विदेशी निवेश के परिणामस्वरूप, निवेशक कंपनी के स्वामित्व और नियंत्रण का अंतरण की भी अनुमित है। तथापि, एफ़डीआई के प्रत्येक अंश के संदर्भ में तीन वर्षों की लॉक-इन अविध होगी और इस अविध के दौरान अचल संपत्ति के अंतरण की अनुमित नहीं होगी।
- (v) FOI नीति के संबंध में "अंतरण" में निम्नलिखित शामिल हैं, -
  - ए. संपत्ति की बिक्री, विनिमय अथवा त्याग , अथवा
  - बी. उसमें अधिकारों (rights) का विलोपन, अथवा
  - सी. किसी कानून के तहत संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण; अथवा
  - डी. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) की धारा 53ए के संदर्भ में कांट्रैक्ट के पेरफ़ोर्मेंस के भाग के रूप में किया गया ऐसा कोई लेनदेन जिसमें अचल संपत्ति ली अथवा धारण की गई हो;
  - ई. ऐसा कोई लेनदेन, जो किसी कंपनी में शेयरों के अर्जन अथवा किसी करार अथवा अन्य किसी व्यवस्था के तहत, जैसी भी हो, के परिणामस्वरूप यदि किसी अचल संपत्ति का लाभ लेने अथवा अंतरण प्राप्त होता हो।

## 12. औद्योगिक पार्क – नए और मौजूदा

100%

स्वचालित

12.1

- (i) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें विकसित की गई भूमि के प्लॉटों या इमारतदार क्षेत्र या संयुक्त रूप से साझा सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर पर उच्च कोटि की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और इन्हें सभी आबंटित इकाइयों को औद्योगिक कार्यकलाप के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है।
- (ii) "बुनियादी संरचना" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं और इनके अंतर्गत सड़कें (पहुंचने के मार्ग सिहत), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सिहत रेलवे लाइनें/साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल-आपूर्ति और अपजल निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकुलन आदि शामिल हैं।
- (III) "साझा सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं जिनमें बिजली, सड़कें (पहुंचने के मार्ग सहित), बिजली से चलने वाली रेलवे लाइनों सहित रेलवे लाइनें/साइडिंग्स, मुख्य रेल लाइनों को जोड़ने वाली लाइनें, जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य (common) टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन, कन्वेन्शन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं।
- (iv) औद्योगिक पार्क में "आबंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है :
- (ए) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र, जिसमें साझा सुविधाओं वाला क्षेत्र शामिल नहीं है।
- (बी) इमारतदार क्षेत्र के मामले में फर्शी क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र।
- (सी) डेवलप की गई भूमि और इमारतदार क्षेत्र के संयुक्त रूप के मामले में इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फर्शी क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं है।
- (v) "औद्योगिक कार्यकलाप" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस संबंधी गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक विषय-वस्तु का संवितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज विज्ञान/जीव-विज्ञान, नैसर्गिक

	विज्ञान और इंजीनियरी पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व		
	गतिविधियां; तथा वास्तु कला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां।		
12.2	औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले एफडीआई को उपर्युक्त पैरा 11		 विकास परियोजनाओं आदि
	के लिए प्रयोज्य शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्न		
	को पूरा करते हों :	,	
	(i) उनमें कम-से-कम 10इकाइयां शामिल हों और कोई भी एकल	इकाई आबंटनीय क्षे	त्र
	का 50 % से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी;		
	(ii) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत	कुल आबंटनीय क्षेत्र	के 66% से कम न हो।
13.	उपग्रह – स्थापना और परिचालन		
13.1	उपग्रह–स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/ इस्रो के क्षेत्र-विशेष संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन है।	100%	सरकार
14.	निजी सुरक्षा एजेंसियां	49%	सरकार
15.	दूरसंचार सेवाएं	100%	49% तक स्वचालित
	(दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-। सहित)		मार्ग
	दूर संचार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-l सहित सभी दूर संचार सेवाएं		
	अर्थात- मूलभूत, सेल्युलर, युनाइटेड ऐक्सेस सेवाएं, युनिफाइड		49% से अधिक
	लाइसेंस (ऐक्सेस सेवाएं), युनिफाइड लाइसेंस,		सरकारी मार्ग
	राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, कमर्शियल वी-सैट, पब्लिक		
	मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल		
	मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस), सभी		
	प्रकार के आईएसपी लाइसेंस, वाइस मेल/आडियोटेक्स/ यूएमएस,		
	आईपीएलसी की पुन: बिक्री, मोबाइल नंबर पोर्टबिलिटी सेवाएं,		
	इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता श्रेणी-। (डार्क फाइबर, राइट आफ वे, डक्ट		
	स्पेस, टावर प्रदाता) प्रदाता, केवल अन्य सेवा प्रदाताओं को		
	छोड़कर		
15.1.1	अन्य शर्ते :		
	100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसमें से 49% स्वचालित मार्ग के अंतर्गत एवं 49% से अधिक सरकारी मार्ग के तहत		
	होगा, बशर्ते दूर संचार विभाग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित लाइसेंसी के साथ-साथ निवेशक द्वारा लाइसेंसिंग एवं		
	सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन किया जाए, केवल "अन्य सेवाएं प्रदाताओं	ों" को छोड़कर जिन्हें	हुँ स्वचालित मार्ग के अंतर्गत
	100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।		
16.	व्यापार (ट्रेड)		
16.1	(i) कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार	100%	स्वचालित मार्ग
	्र (एमएसई से सोर्सिंग सहित)		
16.1.1	परिभाषा:		
	कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार का अभिप्राय है कि खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या		
	अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्ताओं या अन्य थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं /		
	व्यापारिक माल की बिक्री करना। तदनुसार, थोक व्यापार का अर्थ होगा – व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के		
	लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लिए बिक्री। बिक्री थोक है या न	हीं उसका निर्धारण	इस बात पर निर्भर करेगा कि
	बिक्री किन प्रकार के ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार में पुन :बिक्री,		
	प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री, एक्स-पोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात/एक्स-बॉन्डेड गोदाम कारोबारी बिक्री तथा बी-		
	2-बी ई-कॉमर्स शामिल होंगे।		

## 16.1.2 कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार के संबंध में दिशा-निर्देश (ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य सरकार/सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकरण/स्थानीय स्वशासन निकाय के संबंधित अधिनियमों/विनियमों/नियमों/आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइसेंस/पंजीकरण/परिमट प्राप्त किए जाने चाहिए। बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा 'कैश एंड कैरी थोक व्यापार/थोक व्यापार' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ बिक्री तभी माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्न लिखित के साथ किया जाए: (i) बिक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवा कर/उत्पाद शुल्क पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं; अथवा (ii) सरकारी प्राधिकारी/सरकारी निकाय/स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस अर्थात लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र/पंजीकरण रखने वाली संस्थाएं जिससे यह पता चले कि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, रखने वाली संस्था/व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों; अथवा (iii) सरकारी प्राधिकारियों/स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए परमिट/ लाइसेंस आदि )जैसे कि हॉकर्स के लिए तहबजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस (रखने वाली संस्थाएं; अथवा (iv) निगमन प्रमाणपत्र रखने वाली संस्थाएं या अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं। टिप्पणी :कोई संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को इन 4शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी। ित) बिक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण / लाइसेंस/ परमिट आदि संख्या, बिक्री की राशि, आदि दैनिक आधार पर रखे जाने चाहिए। (डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मुल्य उद्यम के कुल टर्न-ओवर के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। (इ) लागु विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा सकता है, जिसमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है। (एफ) थोक/केश एंड कैरी व्यापारी पैरा 16.3 की शर्तों के अनुसरण में एकल ब्रांड रीटेल व्यापार कर सकता है। थोक/कैश एंड कैरी तथा रीटेल कारोबार करने वाली संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने कारोबार के दोनों अंगों के लिए अलग-अलग लेखा बहियाँ बनाएँ एवं सांविधिक ऑडिटर के द्वारा उनका विधिवत रूप से ऑडिट कराएं। थोक/कैश एंड कैरी तथा रीटेल कारोबार नामक कारोबार के दोनों अंगों हेतु उपलब्ध एफ़डीआई शर्तों का संबन्धित कारोबार-अंग के अनुसार अलग-अलग अनुपालन किया जाए। 16.2 बी टू बी ई-कॉमर्स गतिविधियां 100% ई-कॉमर्स गतिविधियों का अभिप्राय है -ई-कॉमर्स प्लैटफार्म के माध्यम से किसी कंपनी द्वारा खरीदने और बेचने की गतिविधि करना। ऐसी कंपनियां केवल बी2बी ई-कॉमर्स करेंगी न कि खुदरा व्यापार। अन्य बातों के साथ-साथ, इसका यह अभिप्राय होगा कि देशी (घरेलु) व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान प्रतिबंध ई-कॉमर्स पर भी लागु होंगे। 16.3 एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार 100% 49% तक स्वचालित मार्ग 49% से अधिक सरकारी मार्ग (1) एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना। 2) एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा: (ए) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'एकल ब्रैंड' (सिंगल ब्रैंड) के होंगे। (बी) एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए।

- (सी) 'एकल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है। किसी अनिवासी संस्था / संस्थाओं को, चाहे ब्रैंड का मालिक हो अथवा अन्यथा, विशिष्ट ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के मालिक के साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार के अधीन, विशिष्ट ब्रैंड के लिए देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करने वाली संस्था इस आशय का प्रमाण अनुमोदन प्राप्त करते समय प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रूप से दर्शाने वाले लाइसेंस / फ्रैन्चाइज़ / उप लाइसेंस करार की प्रति शामिल होगी। स्वचालित मार्ग के लिए अपेक्षित साक्ष्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पास और अनुमोदन लेने वाले मामले SIA/FIPB के पास फाइल किए जाने चाहिए।
- (डी) 51% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य के 30% की सोर्सिंग भारत से की जाएगी, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योग (MSME), ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जांच कंपनी द्वारा रखे गए विधिवत प्रमाणित खातों से सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा की जाएगी। खरीद की इस अपेक्षा को कंपनी द्वारा कारोबार शुरू करने के समय से अर्थात प्रथम स्टोर की शुरुआत से वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो।
- (अ) उपर्युक्त पैरा की शर्तों के अधीन, जिन सिंगल ब्रांड रीटेल कंपनियों के स्टोर भौतिक रूप से मौजूद हैं, उन्हें ई-कॉमर्स के माध्यम से रीटेल करने की अनुमति होगी।
- (3) भारत में 'सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार का प्रस्ताव करने वाली कंपनी में 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमित प्राप्त करने हेतु आवेदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में औद्योगिक सहायता सिचवालय (SIA) को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन पत्र में उन उत्पादों / उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाए जिनका 'सिंगल ब्रांड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। 'सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए जाने वाले किसी उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार से नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 49% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में, खाद्य उत्पादों को छोड़कर, उत्पादों / उत्पाद की श्रेणियों की सूची भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध करायी जाएगी।
- (4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए FIPB द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।

#### नोट :

- i. भारतीय ब्रांड के सिंगल ब्रांड रीटेल व्यापार संबंध में उपर्युक्त पैरा **(2)(बी) एवं (2)(डी)** की शर्तें लागू नहीं होंगी।
- ii. भारतीय निर्माता को अपने निर्मित उत्पादों को ई-कॉमर्स सहित थोक, खुदरा अथवा किसी भी रूप में बेचने की अनुमति है।
- iii. भारतीय निर्माता यदि निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी है, जो भारतीय ब्रांड की मालिक है और जो भारत में निर्माण करती है, को उत्पादों के मूल्य के अनुसार अपने कम से कम 70% उत्पादों का रीटेल घरेलू आधार पर और अधिकतम 30% उत्पादों का रीटेल भारतीय निर्माताओं के माध्यम से कर सकती है।
- iv. भारतीय ब्रांड का स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास होना चाहिए और/अथवा ऐसी कंपनियों के पास होना चाहिए जिसका स्वामित्व और नियंत्रण निवासी भारतीय नागरिकों के पास हो।
- v. "अत्याधुनिक एवं उच्चतम तकनीक" वाले उत्पादों से संबन्धित एंटीटीयों और जहां स्थानीय सोर्सिंग संभव नहीं है ऐसे मामलों में सिंगल ब्रांड ट्रेड के विषय में सरकार सोर्सिंग नियमों को शिथिल कर सकती है।

16.4	मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार	51%	सरकार
	(1) सभी उत्पादों में मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवे	शेश की अनुमति निग	निलिखित शर्तों के अधीन दी

- (i) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा मांस उत्पाद सहित ताज़े कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं।
- (ii) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की लायी जाने वाली न्यूनतम राशि 100मिलियन अमरीकी डालर होगी।
- (iii) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से, प्रथम किस्त के रूप में लाए गए 100मिलियन अमरीकी डालर की कम से कम 50% राशि 3वर्ष के भीतर 'बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में निवेश की जाएगी, जहां बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा, जबिक इसमें फ्रंट-एंड-यूनिटों पर हुआ व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण के लिए, बैक-एन्ड-इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजेस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत तथा किराए पर किए गए व्यय, यदि कोई हों, की गणना बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन में शामिल नहीं होगी। बैक-एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में बाद में किए जाने निवेश कारोबारी अपेक्षाओं के आधार पर मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापारी द्वारा किए जाएंगे।
- (iv) खरीद गये विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पादों के मूल्य का कम-से-कम 30% भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) से सोर्स किया जाएगा जिनका संयत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 2 00.मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। यह मूल्यन संस्थापन के समय का मूल्य है, जिसमें मूल्यहास का प्रावधान (शामिल) नहीं है। 'लघु उद्योग' का दर्जा खुदरा व्यापारी के साथ पहली बार जुड़ने के समय का ही है और ऐसा उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में पात्र माना जाता रहेगा, भले ही खुदरा व्यापारी के साथ जुड़ाव के दौरान उसके उक्त 2 00.मिलियन अमरीकी डालर के निवेश के आकार में इजाफा हो जाए। कृषि सहकारी समितियों और कृषक सहकारी समितियों से सोर्सिंग को भी इसी श्रेणी में माना जाएगा। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पुरा किया जाएगा।
- (v) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (i), (ii) और (iv) की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते रखेंगे।
- (vi) खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है अथवा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य नगरों भी स्थापित किए जा सकते हैं जिनमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल/शहरी स्थानों के 10िकलोमीटर में आने वाले आस-पास के क्षेत्र भी शामिल होंगे; खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे।
- (vii) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा।
- (viii) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (इनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जाएं जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहमति देंगे। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनकी सूची नीचे क्रमांक (2) में दी गयी है। भविष्य में इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए अनुमति देने की सूचना औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दी जाएगी और तदनुसार, वह क्रमांक (2) में शामिल कर दी जाएगी। खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना दुकान तथा स्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों/विनियमों के अनुपालन में की जाएगी।
- (ix) ई-कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार की अनुमित बहु-ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को नहीं होगी।
- (x) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा-निर्देशों को परा करते हैं।

	(0) 2 40 4 (4) ( "") 2		
	(2) पैराग्राफ 16.4.(1) (viii) में उल्लिखित राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों की	सूचा	
	1. आंध्र प्रदेश		
	2. असम		
	3. दिल्ली		
	4. हरियाणा		
	5. हिमाचल प्रदेश		
	6. जम्मू और कश्मीर		
	7. कर्नाटक		
	8. महाराष्ट्र		
	9. मणिपुर		
	10. राजस्थान		
	11. उत्तराखंड		
	12. दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (केंद्र शासित क्षेत्र	7)	
16.5	शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकाने	100%	स्वचालित
	(i) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों का अर्थ वे दुकाने हैं जो सीमा	शुल्क क्षेत्र के तहत हैं	और अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों
	/अंतरराष्ट्रीय समुद्री बन्दरगाहों एवं लैंड कस्टम स्टेशनों के क्षेत्र	में स्थापित दुकाने है	हुं, जहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों
	की आवाज ही होती है।		
	(ii) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों में विदेशी निवेश कस्टम्स अधि अधीन होगा।	ोनियम, 1962 तथा	अन्य नियमों एवं विनियमों के
	(iii) शुल्क रहित (ड्यूटी फ्री) दुकानों को देश के घरेलू टेरीफ़ क्षेत्र में	किसी भी प्रकार की	रीटेल गतिविधि में शामिल
	होने की अनुमति नहीं होगी।		
	<u>वित्तीय सेवाएं</u>		
	नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में	विदेशी निवेश के लि	ए सरकार की पूर्वानुमति लेनी
4	होगी:		
एफ़.1	परिसंपत्तियों की (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)		
एफ़. 1.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का	100%	49% तक स्वचालित मार्ग से
	प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3के तहत		ं 49% से अधिक
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो।		सरकारी मार्ग से
एफ़.1.1.2	अन्य शर्ते		XXIIIXI ALL XI
,	(i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत आजि	स्ति पुनर्गठन कंपनी व	की पुंजी में स्वचालित मार्ग के
	ं अंतर्गत 49% तक और सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 49% से अधि	-	
	(ii) कोई भी प्रवर्तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा विदेशी संस्थागत जि		
	प्रवर्तक के रूप में किसी भी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के 50% से अधिक शे		•
	S		`
	(iii) किसी भी एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफालियो । से कम होगी।	ा <b>नव</b> शक का कुल शय	रधारिता प्रदत्त पूजा के 10%
	(iv) विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफालियो निवेशक रिज़र्व	बैंक के पास पंजीकृत	एआरसी द्वारा जारी की गई
	प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश कर सकते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफालियो निवेशक एसआर		
	योजना की प्रत्येक श्रृंखला में 74% तक निवेश कर सकते हैं। ऐसे		•
	संस्थागत निवेश/विदेशी पोर्टफालियो निवेश के लिए विनिर्दिष्ट सीमा मे	। आर माजूदा प्रत्यक्ष	।वदशा ।नवश ।वानयमावला
	के अंतर्गत सेक्टोरल कैप के अनुपालन में होनी चाहिए।		
	(A) The first the second of th	т п <del>СтС С .</del> -	er n <del>a 1</del> <del>2 2 2 2 2 2</del> 2000
	(v) सभी निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन त	ाथा प्रातभूति ।हते <sup>ह</sup>	का प्रवतन आधानयम, 2002
	(सरफेसी एक्ट) की धारा 3(3)(एफ) के प्रावधानों के अधीन होंगे।		

एफ.2	वैंकिंग-निजी क्षेत्र		
एफ. 2.1	बैंकिंग-निजी क्षेत्र	74%	49% तक स्वचालित
			49% से अधिक और 74%
			तक सरकारी मार्ग से
एफ. 2.2	अन्य शर्ते		

- 1) इस 74% की सीमा में एफआईआई/एफ़पीआई, एनआरआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत किए गए निवेश और पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, DRs सिहत मौजदा शेयरधारकों द्वारा अर्जित शेयर इसमें शामिल होंगे।
- 2) किसी निजी बैंक में सभी स्रोतों से होने वाला समग्र विदेशी निवेश उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 74% तक ही अनुमत होगा। किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 26% हिस्सा सदैव निवासियों (भारतीयों) के पास रहेगा।
- 3) उल्लिखित शर्तें निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों में किए जाने वाले सभी निवेशों पर भी लागू होंगी।
- 4) FII / FPI और NRI द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जाने वाले निवेश की अनुमत सीमाएं निम्नानुसार होंगी:
- (i) FII / FPI के मामले में अब तक की भांति किसी एक एफआईआई/ एफ़पीआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10% से कम रहेगी और सभी FII / FPI/ QFI के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24% से अधिक नहीं होगी। इस सीमा को संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 74% तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक के निदेशक मंडल ने इस आशय का संकल्प पारित किया हो और तदनंतर आम सभा द्वारा भी इस आशय का विशेष संकल्प पारित किया गया हो।
- (ए) एनआरआई के मामले में, अब तक की भांति, एकल धारिता प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 5% तक सीमित है और समग्र सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि उक्त बैंकिंग कंपनी अपनी आम सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित कराती है तो उसमें एनआरआई धारिता को प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों आधार पर कुल प्रदत्त पूंजी के 24% तक रखने की अनुमति दी जा सकती है।
- (बी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम / सहायक संस्था रखने वाले निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाएंगे ताकि वह बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के परामर्श से यह सुनिश्चित कर सके कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता ने 49% की सीमा को भंग नहीं किया है ।
- (सी) FDI के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए विनियम **14(5)** के अनुसार यथा लागू रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी।
- (डी) इन मामलों में रिज़र्व बैंक और सेबी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय एवं इरडा जैसी संस्थाओं द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं कार्यविधियां लागू बनी रहेंगी।
- (अ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के मार्फत अर्जन के परिणाम स्वरूप किसी बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5% या उससे अधिक पर उसका स्वामित्व अथवा नियंत्रण हासिल होता हो तो ऐसे मामले में निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के मार्फत अर्जन से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अनिवासी निवेशकों पर भी लागू होंगे।
- (ii) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था/कंपनी की स्थापना
  - (ए) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था, दोनों में से किसी एक को ही रखने की अनुमति दी जाएगी।
  - (बी) ऐसे विदेशी बैंक जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा विनियमित हैं और रिज़र्व बैंक की लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें 100% प्रदत्त पूंजी को धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सकें।
  - (सी) कोई विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात (i) शाखाएँ (ii) पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था और (iii) निजी बैंक में अधिकतम 74% समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था के रूप, में से किसी एक चैनल के द्वारा ही परिचालन कर सकता है।

	(डी) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर अथवा नए बैंकिंग				
	लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विदेशी बैंक को निजी				
	क्षेत्र के किसी मौजूदा बैंक के शेयरों का अर्जन कर एक सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी बर्शतें ऊपर				
	पैरा (i)(बी) में दी गई शर्त के अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26% प्रदत्त पूंजी हमेशा निवासियों की धारिता में रहे।				
	्रार्था न रहा (ई) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था लाइसेंस प्राप्त करने संबंधी सभी अपेक्षाओं और निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए				
	मोटे तौर पर लागू शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।	1 -1 1311-11 -11 (			
	(एफ) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्था	पना से संबंधित	दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा		
	अलग से जारी किए जाएंगे।		,, 3,		
	(जी) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थाप	गना करने अथव	। अपनी मौजूदा शाखाओं को		
	सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित सभी आवेदन रिज़र्व	बैंक को प्रस्तुत वि	क्ए जाएंगे।		
	(iii) इस समय बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार 10% तक सीमित	त है और इसे संध	मावित निवेशकों को ध्यान में		
	रखना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन, अंतिम नीतिगत निर्णय लिए	ए जाने और संस	द का उचित अनुमोदन प्राप्त		
	करने के बाद ही किया जा सकता है।				
एफ्र.3	वैंकिंग – सार्वजनिक क्षेत्र				
एफ़.3.1	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र	20%	सरकारी मार्ग से		
	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80				
	के अधीन है।				
	यह सीमा (20%) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों पर भी लागू है।				
एफ़.4	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)				
एफ़.4.1		 52 के तदत विशि			
S.01.41.1	एक्सचेंज की तरह ही कमोडिटी एक्सचेंज पण्यों के फ्यूचर्स बाजार की बुर्जि	*	*		
	सर्वोत्तम पद्धतियों, आधुनिक प्रबंधन कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी को				
	ू कि पण्य बाजारों में विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की जाए।	٠			
	े. 2. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,				
	ं (i) ''पण्य बाजार'' फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के तहत				
	मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो पण्यों के वायदा संविदा कारोबार के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफार्म उपलब्ध कराती				
	है।				
	(ii) 'मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जिसे फॉरव	डि संविदा (विनि	यमन) अधिनियम, 1952 की		
	धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल मान्यता प्रदान की गई है।				
	(iii) ''संस्था (असोसिएशन)'' से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे निकाय, निगमित अथवा अनिगमित, से है जो किसी वस्तु				
	अथवा कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री या खरीद के कारोबार को विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजन से गठित किया				
	ाया हो। (iv) ''फॉरवर्ड संविदा'' से अभिप्राय ऐसी संविदा से है जो वस्तुओं की सुप्	र्टिमी के जिस कै	और जो एक बन्सान गार्वगी		
	्ताण) - कारपड तापदा - त जानप्राप एता तापदा त ह जा परसुआ का सुरु - संविदा नहीं है।	ાવના ગાળ છ	जार जा एक तत्काल सुपुरना		
	्रायदा गर्हा है। (v) "कमोडिटी डेरिवेटिव" से अभिप्राय है –				
	वस्तुओं की सुपूर्वगी की एक संविदा जो तत्काल सुपूर्वगी संविदा नहीं है; अथवा				
	<ul> <li>मृत्यों में अंतर की एक ऐसी संविदा जिसका मृत्यांकन कीमतों अथ</li> </ul>		टित वस्तओं या गतिविधियों		
	सेवाओं, अधिकारों, हितों और घटनाक्रमों के मृल्य सूचकांकों पर	•			
	सर्वाञा, आवकारा, ।हता आर वटनाक्रमा क मूल्य सूचकाका पर परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है लेकिन इसमें प्रतिभूतियां श				
एफ़.4.2	पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)	49%			
\ <b>T.L</b>		10 /0	मार्ग से		
एफ़.4.3	अन्य शर्ते :				
	(i) FII/FPI द्वारा की जाने वाली खरीद द्वितीयक बाजार तक ही				
	सीमित होगी ।				

	T	1	
	(ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था, मिलकर कार्य करने वाले		
	व्यक्तियों सहित, इन कंपनियों की इक्विटी में 5% से अधिक शेयर		
	धारित नहीं कर सकते हैं।		
	(iii) कमोडिटी एक्स्चेंज में किया जाने वाला विदेशी निवेश केंद्र		
	सरकार/सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन		
एफ़.5	होगा। ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)		
	ऋण आस्चना कंपनियां	1000/	स्वचालित मार्ग से
एफ़.5.1	अन्य शर्ते :	100%	V44IIIVI 4II VI
एफ़.5.2	विष्य <b>रात :</b> (1) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जान	कारी किया	थायनग्रा कंगनी (विविधान)
	अधिनियम, 2005 के अधीन होगा।	।अगरा (ऋण	जासूयमा) क्यमा (ायागयमम)
	(2) विदेशी निवेश की अनुमति भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजू	भी के अधीन ने	<del>) 11</del>
	(3) इस प्रकार के एफआईआई/एफ़पीआई निवेश की अनुमति निम्नलिखित	,	
	(ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारित		
	(बी) किसी भी अधिग्रहण के, 1% से अधिक होने पर इसकी सूचन		61,
		। जामपायतः	
	भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	(सी) सीआईसी में निवेश करने वाले FII, अपनी शेयरधारिता के	आधार पर उस	के निदेशक बोर्ड में प्रीधीनिधित्व
	की मांग नहीं कर सकेंगे। प्रतिभूति बाज़ार में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी		
एफ़. 6			स्वचालित मार्ग से
एफ़.6.1	सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार, निक्षेपागार और समाशोधन निगम	49%	स्वचाालत माग स
0.0	अन्य शर्तै:		
एफ़.6.2			
एफ़.6.2.1	FII / FPI केवल द्वितीयक बाज़ारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर		
7	सकते हैं <b>बीमा</b>		
एफ़.7.	बीमा	100/	(2)
एफ़.7.1	्षामा (i) बीमा कंपनी	49%	26% तक स्वचालित मार्ग से
	``		
	(ii) बीमा ब्रोकर		26% से अधिक और 49% तक सरकारी मार्ग से
	(iii) थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर		तक सरकारा माग स
	(iv) सर्वेयर और हानि आकलक		
	(loss assessors)		
	(v) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999		
	का 41) के उपबंधों अंतर्गत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाएं		
एफ़.7.2	अन्य शर्तें:	0, , 0	
	(ए) किसी भी भारतीय बीमा कंपनी के ईक्विटी शेयरों में पोर्टफोलियो		
	ईक्विटी शेयरों में की जाने वाली विदेशी निवेश की समग्र होलिंडः पूंजी के 49% से अधिक नहीं होगी;	ग उस मारताय	। भामा कपना का प्रदत्त इाक्वटी
	(बी) भारतीय बीमा कंपनी में 26% से अधिक एवं 49% की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों में विदेशी निवेश सरकारी मार्ग के तहत होगा ।		
	(सी) इस क्षेत्र में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीमा अधिनियम,19	938 के प्रावधा	नों के अनुपालन के अधीन होगा
	और इस शर्त के अधीन होगा कि एफडीआई लाने वाली कंपनियां		•
	और विकास प्राधिकरण (IRDA) से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेंग		
	(डी) भारतीय बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करे कि उसका स्वामित्व एवं	नियंत्रण हमेश	। निवासी भारतीय एंटिटीयों के
	हाथ में ही रहे जैसाकि वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा निर्धारित / अ	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	, , , ,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

- (अ) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश फेमा विनियमावली, 2000 के विनियम 5 के उप विनियम (2), (2ए), (3) एवं (8) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली के प्रावधानों के अधीन होगा।
- (एफ़) भारतीय बीमा कंपनी में विदेशी निवेश में किसी भी प्रकार की बढ़ोत्तरी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा फेमा के तहत जारी कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।
- (जी) 49% तक की 'विदेशी ईक्विटी निवेश सीमा' संबंधी उल्लिखित शर्तें बीमा ब्रोकरों, थर्ड पार्टी एिड्मिनिस्ट्रेटरों, सर्वेयर एवं हानि आकलकों एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के तहत नियुक्त अन्य मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं पर भी लागू होंगी।
- (एच) बशर्ते यह कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्ती बीमा संस्था/कंपनी के रूप में अनुमत कोई एंटिटी यदि बैंक है, जिसका प्राथमिक कारोबार बीमा क्षेत्र से भिन्न (अर्थात गैर-बीमा) है, तो उसमें विदेशी ईक्विटी निवेश की उच्चतम सीमा उस क्षेत्र के लिए लागू सीमा होगी और यह भी कि किसी भी वित्त वर्ष में उस एंटिटी का अपने प्राथमिक कारोबार (गैर-बीमा क्षेत्र से) से प्राप्त राजस्व उसके समग्र राजस्व के 50% से अधिक होना चाहिए।
- (आई) बैंक प्रवर्तित (promoted) बीमा कंपनियों के लिए "बैंकिंग-निजी क्षेत्र" संबंधी पैराग्राफ सं. एफ 2. 2(3)(i) (सी) एवं (डी) के उपबंध लागू होंगे।
- (जे) 'नियंत्रण', 'ईक्विटी शेयर पूंजी', 'प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई)', 'विदेशी निवेशक', 'विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक', 'भारतीय बीमा कंपनी', 'भारतीय कंपनी', 'भारतीय बीमा कंपनी पर भारतीय नियंत्रण', 'भारतीय स्वामित्व', 'अनिवासी एंटिटी', 'सार्वजिनक वित्तीय संस्था', 'निवासी भारतीय नागरिक', 'कुल विदेशी निवेश' शब्दावली का अर्थ वही होगा जो 19 फरवरी 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर.115 (ई) में दिया गया है।

	शब्दावला का अथ वहा हागा जा 19 फरवरा 2015 का आधसूचना स.जा.एस.आर.115 (इ) मादया गया हा		
एफ़.8.	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)		
एफ़.8.1	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में स्वचालित मार्ग के तहत केवल निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश की अनुमति होगी: (i) मर्चेन्ट बैकिंग	100%	स्वचालित मार्ग से
	(ii) हामीदारी		
	(iii) पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं		
	(iv)निवेश परामर्शदात्री सेवाएं		
	(v) वित्तीय परामर्श		
	(vi) शेयर ब्रोकिंग		
	(vii) आस्ति प्रबंधन		
	(viii) जोखिम पूंजी (वेंचर केपिटल)		
	(ix) अभिरक्षक सेवाएं		
	(x) फैक्टरिंग		
	(xi) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी		
	(xii) लीजिंग तथा वित्त		
	(xiii) आवास वित्त		
	(xiv) फारेक्स ब्रोकिंग		
	(xv) क्रेडिट कार्ड कारोबार		
	(xvi) मुद्रा परिवर्तन कारोबार		
	(xvii) माइक्रो क्रेडिट		
	(xviii) ग्रामीण ऋण		
		l	

एफ़.8.2	अन्य शर्ते			
	(1) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों के अधीन होगा:			
	(i) 51% तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने  होंगे।			
	(ii) 51% से अधिक परंतु 75% तक की विदेशी पूंजी के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे।			
	(iii) 75% से अधिक की विदेशी पूंजी के लिए 50 मिलियन अमरीकी डॉलर, जिसमें से 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर को			
	प्रारंभिक रूप में लाया जाना होगा और शेष को 24 महीनों के भीतर लाया जाएगा।			
	(iv) एनबीएफसी जिनमें (i) 75% से अधिक तथा 100% तक का विदेशी निवेश है तथा (ii) जिनका न्यूनतम			
	पूंजीकरण 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए और कार्यरत अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए उप-अनुषंगी संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं। तदनुसार, समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति पर डीआईपीपी के परिपत्र 1 के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित			
	न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त निचले स्तर की अनुषंगी संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।			
	(v) संयुक्त उद्यम द्वारा परिचालित होने वाली एनबीएफसी भी, जिनमें विदेशी निवेश 75% या उससे कम हैं, अन्य			
	एनबीएफसी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अनुषंगी संस्थाएं गठित कर सकती हैं, बशर्ते अनुषंगी संस्थाएं उपर्युक्त			
	(i), (ii) और (iii) तथा निम्नलिखित (vi) में वर्णित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती हों।			
	(vi) गैर निधि आधारित गतिविधियां: विदेशी निवेश के स्तर पर विचार किए बिना निम्नलिखित शर्तों के			
	अधीन, अनुमति प्राप्त सभी गैर निधि आधारित एनबीएफसी को 0.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे:			
	ऐसी किसी कंपनी को किसी अन्य गतिविधि के लिए कोई अनुषंगी संस्था गठित करने और किसी एनबीएफसी होल्डिंग/परिचालन कंपनी की ईक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति नहीं होगी।			
	टिप्पणी: निम्नलिखित गतिविधियों को गैर निधि आधारित गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा:			
	(ए) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं			
	(बी) वित्तीय परामर्श			
	(सी) फारेक्स ब्रोकिंग			
	(डी) मुद्रा परिवर्तन कारोबार			
	(अ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी			
	(vii) ये सभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे।			
	<b>टिप्पणी</b> : (i) क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों यथा - क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू			
	कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य वर्धित कार्ड आदि का निर्गमन, बिक्री, विपणन एवं डिजाईनिंग शामिल है।			
	(ii) लीजिंग तथा वित्त में सिर्फ वित्तीय लीज़ को ही शामिल किया जाएगा, परिचालन लीज़ इसमें शामिल नहीं होंगी।			
	्र परिचालन लीज़ में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।			
	(2) एनबीएफसी को उनसे संबंधित विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यथा लागू, का अनुपालन करना होगा।			
एफ़.8.3	वाईट लेबेल एटीएम परिचालन 100% स्वचालित			
,	अन्य शर्ते :			
	i. कोई भी गैर-बैंकिंग एंटीटी, जो वाईट लेबेल एटीएम का परिचालन करने की इच्छुक है, के पास उसकी पिछले (बीते)			
	वित्त वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेन्स-शीट के अनुसार कम से कम 100 करोड़ रुपये की निवल संपत्ति होनी चाहिए और इसे			
	सदैव बनाए रखना चाहिए।			
	ii. यदि कोई एंटीटी एनबीएफ़सी से जुड़ी 18 गतिविधियों में से किसी कार्य से सम्बद्ध है, तो वाईट लेबेल एटीएम का			
	परिचालन करने की इच्छुक ऐसी कंपनी को उपर्युक्त पैरा एफ़.8.2 में वर्णित एनबीएफ़सी में विदेशी निवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों का अनुपालन करना होगा ।			
	iii. वाईट लेबेल एटीएम का परिचालन में किया जाने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) भारतीय रिज़र्व बैंक के समय			
	समय पर यथा शांशोधित परिपत्र सं. <u>DPSS,CO.PD.No. 2298/02.10.002/2011-12</u> की शर्तों के अधीन होगा।			
एफ़. 9	पावर एक्सचेंज			
	1			

एफ़.9.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमावली, 2010 के	49%	स्वचालित मार्ग से		
	अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज				
एफ़.9.2	अन्य शर्ते				
	(i) FII खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही सीमित होगी;				
	(ii) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था जिनमें मिलकर कार्य कर रहे व्यक्ति भी शामिल हैं, इन कंपनियों की 5% से अधिक				
	इक्विटी धारित नहीं कर सकेंगे; और				
	(iii) विदेशी निवेश सेबी के विनियमावली, अन्य लागू कानूनों/विनियमनों, सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन				
	होंगे।	ı			
एफ़.10	पेंशन क्षेत्र	49%	26% तक स्वचालित मार्ग से;		
			6% से 49 % तक सरकारी मार्ग से		
17.	फार्मास्यूटिकल				
17.1	ग्रीन फील्ड	100%	स्वचालित		
17.2	ब्राउन फील्ड	100%	सरकारी		
17.3	अन्य शर्तें				
	(i) विशिष्ट परिस्थितियों में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन	। को छोड़कर	अन्य मामलों में 'गैर-प्रतिस्पर्धी'		
	खंड/शर्त की अनुमित नहीं होगी।				
	(ii) भावी निवेशक एवं निवेश प्राप्तकर्ता के लिए यह अपेक्षित होगा कि एफ़आईपीबी आवेदन के साथ उक्त आशय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।				
	(iii) ब्राउनफील्ड मामलों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन दे	ने समय सरक	ार उचित शर्तें लगा सकती है।		
	नोट:	4 4144 41 41	1/ 01 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 6		
	i. चिकित्सा उपकरणों (डिवाइसेज़) के उत्पादन हेतु स्वचालित मार्ग से 100	)% प्रत्यक्ष वि	देशी निवेश की अनुमति है। अतः		
	उल्लिखित शर्तें इस उद्योग के ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगी।				
	ii. मेडिकल डिवाइस (उपकरण) अर्थात :-				
	(ए) विनिर्माता द्वारा अपेक्षित सॉफ्टवेयर सहित कोई भी	यंत्र(instrum	nent), उपकरण(apparatus),		
	औज़ार(appliances), इंप्लांट, सामग्री अथवा अन्य वस्तुएँ, जो				
	विशेषतः मनुष्य अथवा पशुओं के लिए निम्नलिखित एक अथवा ब	हुविध विशिष्ट	उद्देश्यों से उपयोग में लाये जाते		
	हों, जैसे :				
	(एए) किसी बीमारी अथवा विकार की पहचान, रोकथाम, निगरानी, इलाज अथवा राहत के लिए;				
	(एबी) किसी जख्म अथवा विकलांगता की पहचान, निगरानी, इला	-			
	(एसी) शारीरिक संरचना अथवा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत जां	च, बदलाव	अथवा सुधार अथवा सहायता के		
	लिए				
	(एडी) जीवन-रक्षा और जान बचाने में सहायक;				
	(एई) मेडिकल उपकरणों का विसंक्रमण;				
	(एएफ) गर्भाधान नियंत्रण	0	0 ,		
	एवं ऐसे उपकरण, जो मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर पर / में किसी औषधीय अथवा प्रतिरक्षात्मक और चयापचय के				
	माध्यम से अपनी मूल कार्रवाई के उद्देश्य को सीधे प्राप्त नहीं करते हैं, किन्तु इन माध्यमों के कार्य में सहायक होते हैं,				
	(बी) इस प्रकार के यंत्र, उपकरणों, औज़ारों, सामग्री अथवा वस्तुओं के र	•			
	(सी) उपकरण जो अभिकर्मक(regeant), अभिकर्मक-उत्पाद, कैलिब्रेटर (Calibrator), नियंत्रण सामग्री, किट, इन्स्टुमेंट उपकरण(apparatus), औज़ार(appliances) अथवा सिस्टम जो अकेले अथवा किसी अन्य उपकरण के साथ परीक्षण				
	एवं चिकित्सा अथवा निदान के उद्देश्य से सूचना देने के लिए मनुष्य अथवा पशुओं के शरीर के नमूने (specimens) के विट्रो-परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाते हों;				
	iii. उपर्युक्त नोट (ii) में दी गई चिकित्सा उपकरण की परिभाषा औषधि औ	रि प्रसाधन स	ामाग्री अधिनियम में संशोधन के		

	अधीन होगी।		
18.	रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर		
	निम्नलिखित का विनिर्माण, रख-रखाव एवं परिचालन: (i) सार्वजनिक-निजी	100%	स्वचालित मार्ग से
	भागीदारी (PPP) के माध्यम से उपनगरीय रेल कोरीडोर, (ii) स्पीड ट्रेन		
	परियोजनाएं, (iii) केवल माल ढुलाई के लिए विशिष्ट लाइनें, (iv) ट्रेन सेटों		
	सहित रोलिंग स्टॉक, और लोकोमोटिव/कोच निर्माण एवं रखरखाव		
	सुविधाएं, (v) रेलवे विद्युतीकरण, (vi) सिग्नलिंग सिस्टम, (vii) फ्रेट टर्मिनल,		
	(vii) यात्री टर्मिनल, (ix) औद्योगिक पार्क में इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबन्धित रेलवे		
	लाइनें/साईडिंग सहित विद्युतीकृत रेलवे लाइनें और मुख्य लाइनों से जोड़ने		
	वाली लाइनें, एवं (x) मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।		
	नोट :-		
	(i) उल्लिखित गतिविधियों में निवेश रेल मंत्रालय के सेक्टोरल दिशा-निर्देश	ों के अधीन प्रत	यक्ष विदेशी निवेश सहित निजी
	भागीदारी के लिए खुला होगा।		
	(ii) संवेदनशील क्षेत्रों में, 49% से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा संबंधी		
	कैबिनेट कमीटी द्वारा, मामले –दर- मामले के आधार पर, विचार किया जाएग	πι	

## डी. अनुसूची 9 में,

## (i) पैराग्राफ 4को निम्न प्रकार संशोधित किया गया है, अर्थात पढ़ा जाएगा:

#### "4. प्रवेश मार्ग

सीमित देयता भागीदारियों (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

- i. स्वचालित मार्ग के तहत जिन क्षेत्रों में 100% एफ़डीआई की अनुमित हैं ऐसे क्षेत्रों / गतिविधियों से जुड़ी सीमित देयता भागीदारियो (LLP) में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमित है एवं इसमें एफ़डीआई से संबंधित पेरफ़ोर्मेंस की शर्तें लागू नहीं हैं।
- ii. किसी भारतीय कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी, जिसमें विदेशी निवेश उपलब्ध है, को ऐसी अन्य किसी कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी में निवेश की अनुमित हैं जो स्वचालित मार्ग के तहत ऐसे क्षेत्रों से संबद्ध हैं जिनमें में 100% एफ़डीआई की अनुमित है और इसमें एफ़डीआई संबंधी परफ़ोर्मेंस की शर्तें लागू नहीं होंगी। उपर्युक्त शर्तों का अनुपान सुनिश्चित करने दायित्व डाउनस्ट्रीम निवेश प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी / सीमित देयता भागीदारियों (LLP) पर होगा।
- iii. देयता भागीदारियों (LLP) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश LLP अधिनियम, 2008 की शर्तों के अधीन होगा।"

## ii) अनुसूची 9 में, पैराग्राफ 8 को हटाया गया है।

## ई. मौजूदा अनुसूची 11 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

## " अनुसूची 11

[विनियम 5 (10) देखें]

## भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा निवेश संस्था में निवेश

- 1. अनिवासी भारतीय (NRI) और आर.एफ़.पी.आई (RFPI) सहित भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति, इस अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निवेश संस्था की युनिटों में निवेश कर सकता है।
- 2. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति अथवा पंजीकृत / निगमित संस्था द्वारा निवेश संस्था के अर्जित यूनिटों के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल के मार्फत किए गए आवक विप्रेषण जिसमें NRE अथवा FCNR खाते को नामे करना शामिल है, द्वारा किए जाएंगे।

3. इस अनुसूची के अनुसार भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा खरीदी गई यूनिटें सेबी द्वारा निर्मित विनियमों अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बेची अथवा अंतरित अथवा प्रतिदान (redeem) की जा सकेंगी।

4. मूल विनियमावली के विनियम 14 में परिभाषित रूप में यदि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर भारतीय 'स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित' न हो, तो ऐसी निवेश संस्था द्वारा किए जाने वाले डाउनस्ट्रीम निवेश को विदेशी निवेश माना जाएगा।

बशर्ते कि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर जो कंपनी अथवा सीमित देयता भागीदारी (LLP) से भिन्न रूप में संगठित हों, के संबंध में सेबी (SEBI) द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि प्रायोजक (स्पॉन्सर) अथवा मैनेजर अथवा निवेश मैनेजर विदेशी स्वाधिकृत अथवा नियंत्रित है।

स्पष्टीकरण 1 : मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में स्वाधिकरण और नियंत्रण को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) एक समूहित निवेश संस्था है। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) का 'नियंत्रण' अन्य सामान्यजनों को छोडकर 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' के हाथ में होना चाहिए। अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) के 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' यदि व्यक्ति हैं, तो ऐसे मामलों में इन अल्टरनेटिव निवेश निधि (AIF) द्वारा किए गए डाउनस्ट्रीम निवशों को घरेलू निवेश मानने के लिए उसके 'प्रायोजक (स्पॉन्सर)' और 'मैनेजर/निवेश मैनेजर' निवासी भारतीय होने चाहिए।

स्पष्टीकरण 2 : यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेश संस्था की आधारभूत निधियों (investment in the corpus) में विदेशी निवेश की सीमा यह निर्धारित करने का कारक नहीं होगी कि संबंधित निवेश संस्था द्वारा किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश विदेशी निवेश है अथवा नहीं।

- 5. किसी निवेश संस्था द्वारा किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश, जिसकी गणना विदेशी निवेश के रूप में की जाती है, वह डाउनस्ट्रीम निवेश जिस कंपनी में किया जाता है, उसके संबंध में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति अथवा मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के उपबंधों के अनुसार यथा लागू सेक्टोरल कैप और शर्तों/प्रतिबंधों, यदि कोई, हों के अनुरूप होना ही चाहिए।
- 6. किसी निवेश संस्था द्वारा किसी सीमित देयता भागीदारी (LLP) में किया गया डाउनस्ट्रीम निवेश जिसकी गणना विदेशी निवेश के रूप में की जाती है, उसे सीमित देयता भागीदारी (LLP) में विदेशी निवेश से संबंधित मूल विनियमावली की अनुसुची 9 में दिए गए उपबंधों के अनुरूप होना चाहिए।
- अल्टरनेटिव निवेश निधियां श्रेणी III केवल उन प्रतिभूतियों अथवा लिखतों में ही पोर्टफोलियो निवेश कर सकती हैं जिनमें मूल विनियमावली के अनुसार कोई पंजीकृत पोर्टफोलियो निवेशक निवेश कर सकता है।
- विदेशी निवेश प्राप्त करने वाली निवेश संस्था से अपेक्षित होगा कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट फार्मेट में ऐसी रिपोर्टें, समय-समय पर प्रस्तुत करे जैसी कि उनके द्वारा अपेक्षा की जाती है।

[ सं. 1/1/ईएम-2016]

बी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

**पाद-टिप्पणी :-** मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि. सं.406 (अ) भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र के में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004
सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004
सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004
सा.का.नि. सं. 4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005
सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005
सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005
सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003	सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006
सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004	सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006
सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004	सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007

सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007	सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013
सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007	सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 575(अ) दिनांक 05.08.2008	सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014
सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008	सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014
सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009	सा.का.नि. सं.  361(अ) दिनांक 27.05.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 21.04.2010	सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012	सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014
सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012	सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014
सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014
सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012	सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014
सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012	सा.का.नि. सं. 632(अ) दिनांक 02.09.2014
सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012	सा.का.नि. सं. 798(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013	सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013	सा.का.नि. सं. 800(अ) दिनांक 13.11.2014
सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013	सा.का.नि. सं. 829(अ) दिनांक 21.11.2014
सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013	सा.का.नि. सं. 906(अ) दिनांक 22.12.2014
सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013	सा.का.नि. सं. 914(अ) दिनांक 24.12.2014
सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013	सा.का.नि. सं. 30(अ) दिनांक 14.01.2015
सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013	सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015
सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013	सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015
सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015
सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013	सा.का.नि. सं. 745(अ)  दिनांक 30.09.2015
सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 759(अ) दिनांक 06.10.2015
सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013	सा.का.नि. सं. 823(अ)  दिनांक 30.10.2015
सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013	, ,
सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013	सा.का.नि. सं. 858(अ) दिनांक 16.11.2015

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 15th February, 2016

#### No.FEMA.362/2016-RB

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2016

**G.S.R. 166 (E)** .—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) namely:-

#### 1. Short Title and Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Second Amendment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Amendment of the Regulation

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000),

(A) In Regulation 2, after clause (viiA) and before the existing clause (viia), the following clause shall be inserted, namely:

"(vii AA) "Manufacture", with its grammatical variations, means a change in a non-living physical object or article or thing-(a) resulting in transformation of the object or article or thing into a new and distinct object or article or thing having a different name, character and use; or (b) bringing into existence of a new and distinct object or article or thing with a different chemical composition or integral structure."

# (B) In Regulation 14,

- (a) in sub-regulation 1, the existing clause (i) and clause (ia) shall be amended as under respectively:
  - "(i) for the purpose of this regulation, the expression 'ownership and control' shall mean and include
  - (a) a company shall be considered as owned by resident Indian citizens if more than 50% of the capital in it is beneficially owned by resident Indian citizens and/or Indian companies, which are ultimately owned and controlled by resident Indian citizens. A Limited Liability Partnership will be considered as owned by resident Indian citizens if more than 50% of the investment in such an LLP is contributed by resident Indian citizens and/or entities which are ultimately 'owned and controlled by resident Indian citizens' and such resident Indian citizens and entities have majority of the profit share;
  - (b) A company owned by non-residents shall mean an Indian company that is not owned by resident Indian citizens.
  - (ia) 'Control' shall include the right to appoint a majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements.

Explanation: For the purpose of Limited Liability Partnership, 'control' shall mean right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusions to others, have control over all the policies of Limited Liability Partnership."

- (b) in sub-regulation 3, in clause (iv), the existing sub-clause (D) shall be amended, namely:
  - "D) In the I&B sector where the sectoral cap is up to 49%, the company would need to be 'owned and controlled' by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned and controlled by resident Indian citizens.
    - (a) For this purpose, the equity held by the largest Indian shareholder would have to be at least 51 % of the total equity, excluding the equity held by Public Sector Banks and Public Financial Institutions, as defined in Section 4A of the Companies Act, 1956 or Section 2 (72) of the Companies Act, 2013, as the case may be. The term 'largest Indian shareholder', used in this clause, will include any or a combination of the following:
      - (i) In the case of an individual shareholder,
        - (aa) The individual shareholder,
        - (bb) A relative of the shareholder within the meaning of Section 2 (77) of Companies Act, 2013.
        - (cc) A company/group of companies in which the individual shareholder/HUF to which he belongs has management and controlling interest.
      - (ii) In the case of an Indian company,
        - (aa) The Indian company
      - (bb) A group of Indian companies under the same management and ownership control.
    - (b) For the purpose of this Clause, "Indian company" shall be a company which must have a resident Indian or a relative as defined under Section 2 (77) of Companies Act, 2013/HUF, either singly or in combination holding at least 51% of the shares.
    - (c) Provided that, in case of a combination of all or any of the entities mentioned in Sub-Clauses (i) and (ii) above, each of the parties shall have entered into a legally binding agreement to act as a single unit in managing the matters of the applicant company."

(c) The existing sub-regulation 5 shall be amended as under, namely:

"Guidelines for establishment of Indian companies/ transfer of ownership or control of Indian companies, from resident Indian citizens to non-resident entities, in sectors under government approval route

Foreign investment in sectors/activities under government approval route will be subject to government approval where:

- (i) An Indian company is being established with foreign investment and is not owned by a resident entity or
- (ii) An Indian company is being established with foreign investment and is not controlled by a resident entity or
- (iii) The control of an existing Indian company, currently owned or controlled by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned or controlled by resident Indian citizens, will be/is being transferred/passed on to a non-resident entity as a consequence of transfer of shares and/or fresh issue of shares to non-resident entities through amalgamation, merger/demerger, acquisition etc. or
- (iv) The ownership of an existing Indian company, currently owned or controlled by resident Indian citizens and Indian companies, which are owned or controlled by resident Indian citizens, will be/is being transferred/passed on to a non-resident entity as a consequence of transfer of shares and/or fresh issue of shares to non-resident entities through amalgamation, merger/demerger acquisition etc.
- (v) It is clarified that Foreign investment shall include all types of foreign investments i.e. FDI, investment by FIIs, FPIs, QFIs, NRIs, ADRs, GDRs, Foreign Currency Convertible Bonds (FCCB) and fully, mandatorily & compulsorily convertible preference shares/debentures, regardless of whether the said investments have been made under Schedule 1, 2, 2A, 3, 6, 8, 9 and 10 of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations.
- (vi) Investment by NRIs under Schedule 4 of FEMA (Transfer or Issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations, 2000 will be deemed to be domestic investment at par with the investment made by residents.
- (vii) A company, trust and partnership firm incorporated outside India and owned and controlled by non-resident Indians will be eligible for investments under Schedule 4 of FEMA (Transfer or issue of Security by Persons Resident Outside India) Regulations, 2000 and such investment will also be deemed domestic investment at par with the investment made by residents."
- (d) in sub-regulation 6, the existing clause (ii) shall be amended, namely:
  - " (ii) Downstream investments by Indian companies/LLPs will be subject to the following conditions:
  - a. Such a company/LLP is to notify SIA, DIPP and FIPB of its downstream investment in the form available at http://www.fipbindia.com within 30 days of such investment, even if capital instruments have not been allotted, along with the modality of investment in new/existing ventures (with/without expansion programme);
  - b. Downstream investment by way of induction of foreign equity in an existing Indian Company to be duly supported by a resolution of the Board of Directors as also a shareholders agreement, if any;
  - c. Issue/transfer/pricing/valuation of shares shall be in accordance with applicable SEBI/RBI guidelines;
  - d. For the purpose of downstream investment, the Indian companies/LLPs making the downstream investments would have to bring in requisite funds from abroad and not leverage funds from the domestic market. This would, however, not preclude downstream companies/LLPs, with operations, from raising debt in the domestic market. Downstream investments through internal accruals are permissible (For the purposes of FDI, internal accruals will mean as profits transferred to reserve account after payment of taxes), subject to the provision of clause (i) above and also as elaborated below:
    - A. Foreign investment into an Indian company, engaged only in the activity of investing in the capital of other Indian company/ies, will require prior Government/FIPB approval, regardless of the amount or extent of foreign investment. Foreign investment into Non-Banking Finance Companies (NBFCs), carrying on activities approved for FDI, will be subject to the conditions specified in Annex B of Schedule I to these Regulations.
    - B. Those companies, which are Core Investment Companies (CICs), will have to additional follow RBI's Regulatory Framework for CICs.
    - C. For undertaking activities which are under automatic route and without FDI linked performance conditions, Indian company which does not have any operations and also does not have any downstream investments, will be permitted to have infusion of foreign investment under automatic route. However, approval of the Government will be required for such

companies for infusion of foreign investment for undertaking activities which are under Government route, regardless of the amount or extent of foreign investment. Further, as and when such a company commences business(s) or makes downstream investment, it will have to comply with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps.

Note: Foreign investment into other Indian companies would be in accordance/compliance with the relevant sectoral conditions on entry route, conditionalities and caps;

e) The FDI recipient Indian company at the first level which is responsible for ensuring compliance with the FDI conditionalities like no indirect foreign investment in prohibited sector, entry route, sectoral cap/conditionalities, etc. for the downstream investment made by in the subsidiary companies at second level and so on and so forth would obtain a certificate to this effect from its statutory auditor on an annual basis as regards status of compliance with the instructions on downstream investment and compliance with FEMA provisions. The fact that statutory auditor has certified that the company is in compliance with the regulations as regards downstream investment and other FEMA prescriptions will be duly mentioned in the Director's report in the Annual Report of the Indian company. In case statutory auditor has given a qualified report, the same shall be immediately brought to the notice of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department (FED), Regional Office (RO) of the Reserve Bank in whose jurisdiction the Registered Office of the company is located and shall also obtain acknowledgement from the RO of having intimated it of the qualified auditor report. RO shall file the action taken report to the Chief General Manager-in-Charge, Foreign Exchange Department, Reserve Bank of India, Central Office, Central Office Building, Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai 400001."

#### C In Schedule 1,

- (i) In paragraph 2, paragraph beginning with "Provided further that the shares or convertible debentures...." and ending with ".....permitted to the extent specified in Regulation 14." shall be deleted.
- (ii) in paragraph 2, in sub-paragraph 4, after clause (iv), the following shall be added, namely:
  - "(v) by way of swap of shares, provided the company in which the investment is made is engaged in an automatic route sector, subject to the condition that irrespective of the amount, valuation of the shares involved in the swap arrangement will have to be made by a Merchant Banker registered with SEBI or an Investment Banker outside India registered with the appropriate regulatory authority in the host country.

Note: A company engaged in a sector where foreign investment requires Government approval may issue shares to a non-resident through swap of shares only with approval of the Government"

- (iii) in paragraph 3, the existing sub-paragraph (c) shall stands deleted.
- (iv) in 'Annex B', the existing table shall be substituted with the following, namely:

#### Foreign Investments caps and entry route in various sectors

SL.No	Sector/Activity	Foreign Investment Cap (%)	Entry Route
Agricultu	ıre		
1.	Agriculture & Animal Husbandry		
	<ul> <li>a) Floriculture, horticulture, Apiculture and Cultivation Of vegetables &amp; mushrooms under controlled conditions;</li> <li>b) Development and production of seeds and planting material;</li> <li>c) Animal Husbandry (including breeding of dogs), Pisiculture, Aquaculture, under controlled conditions; and</li> <li>d) Services related to agro and allied sectors.</li> <li>Note: Besides the above, FDI is not allowed in any other agricultural sector/activity</li> </ul>	100%	Automatic
1.1	Other Conditions		

The term 'under controlled conditions' covers the following: (i) 'Cultivation under controlled conditions' for the categories of floriculture, horticulture, cultivation of vegetables and mushrooms is the practice of cultivation wherein rainfall, temperature, solar radiation, air humidity and culture medium are controlled artificially. Control in these parameters may be effected through protected cultivation under green houses, net houses, poly houses or any other improved infrastructure facilities where micro-climatic conditions are regulated anthropogenically (ii) In case of Animal Husbandry, scope of the term 'under controlled conditions' covers – (a) Rearing of animals under intensive farming systems with stall- feeding. Intensive farming system will require climate systems (ventilation, temperature/humidity management), health care and nutrition, herd registering/pedigree recording, use of machinery, waste management systems as prescribed by the National Livestock Policy 2013 and in conformity with the existing 'Standard Operating Practices and Minimum Standard Protocol.' (b) Poultry breeding farms and hatcheries where micro-climate is controlled through advanced technologies like incubators, ventilation systems etc. (iii) In the case of pisciculture and aquaculture, scope of the term 'under controlled conditions' covers – (a) Aquariums (b) Hatcheries where eggs are artificially fertilized and fry are hatched and incubated in an enclosed environment with artificial climate control. (iv) In the case of apiculture, scope of the term 'under controlled conditions' covers – a) Production of honey by bee-keeping, except in forest/wild, in designated spaces with control of temperatures and climatic factors like humidity and artificial feeding during lean seasons. **Plantation** 2.1 Tea sector including tea plantations 100% Automatic route i. Coffee plantations ii. **Rubber Plantations** iii. Cardamom plantations iv. Palm oil tree plantations v. vi. Olive oil tree plantations Note: FDI is not allowed in any plantation sector/activity except those mentioned above. 2.2 Other Condition Prior approval of the State Government concerned is required in case of any future land use change. 3. MINING 3.1 Mining and Exploration of metal and non-metal 100% Automatic ores including diamond, gold, silver and precious ores but excluding titanium bearing minerals and its ores; subject to the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957. 3.2 **Coal and Lignite** Coal & Lignite mining for 100% Automatic consumption by power projects, iron & steel and cement units and other eligible activities permitted under and subject to the provisions of Coal Mines (Nationalization) Act, 1973. 100% Setting up coal processing plants like (2) Automatic washeries, subject to the condition company shall not do coal mining and shall not sell washed coal or sized coal from its coal processing plants in the open market and shall supply the washed or sized coal to those parties who are supplying raw coal to coal processing plants for washing or sizing. 3.3 Mining and mineral separation of titanium bearing minerals and ores, its value addition and integrated activities 3.3.1 Mining and mineral separation of titanium bearing 100% Government minerals & ores, its value addition and integrated activities subject to sectoral regulations and the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act. 1957.

3.3.2	Other Conditions				
	(i) FDI for separation of titanium bearing minerals	& ores will be s	ubject to the following conditions		
	viz:  A. Value addition facilities are set up within India along with transfer of technology;  B. Disposal of tailings during the mineral separation shall be carried out in accordance with regulations framed by the Atomic Energy Regulatory Board such as Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 and the Atomic Energy (Safe Disposal of Radioactive Wastes) Rules, 1987.  (ii) FDI will not be allowed in mining of "prescribed substances" listed in the Notification No. S.O. 61(E), dated 18.1.2006, issued by the Department of Atomic Energy.				
4.	<ul> <li>i. For titanium bearing ores such as Ilmenite, Leucoxene and Rutile, manufacture of titanium dioxide pigment and titanium sponge constitutes value addition, Ilmenite can be processed to produce Synthetic Rutile or Titanium Slag as an intermediate value added product.</li> <li>ii. The objective is to ensure that the raw material available in the country is utilized for setting undownstream industries and the technology available internationally is also made available for setting up such industries within the country. Thus, if with the technology transfer, the objective of the FDI Policy can be achieved, the conditions prescribed at (i) (A) above shall be deemed to be fulfilled.</li> </ul>				
4.1	Petroleum & Natural Gas  Exploration activities of oil and natural gas fields,	100%	Automatic		
4.1	infrastructure related to marketing of petroleum products and natural gas, marketing of natural gas and petroleum products, petroleum product pipelines, natural gas/pipelines, LNG Regasification infrastructure, market study and formulation and Petroleum refining in the private sector, subject to the existing sectoral policy and regulatory framework in the oil marketing sector and the policy of the Government on private participation in exploration of oil and the discovered fields of national oil companies.		Automatic		
4.2	Petroleum refining by the Public Sector Undertakings (PSUs), without any disinvestment or dilution of domestic equity in the existing PSUs.		Automatic		
5	Manufacturing	100%	Automatic		
6.	Subject to the provisions of the FDI policy, foreig automatic route. Further, a manufacturer is permitted wholesale and/or retail, including through e-commerce <b>Defence</b>	to sell its produ	cts manufactured in India through		
6.1	Defence Industry subject to Industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951	r   49%	Government route up to 49% Above 49% under Government route on case to case basis, wherever it is likely to result in access to modern and 'state-of-art' technology in the country.		
6.2	Other Conditions		, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		
	<ul> <li>i. Infusion of fresh foreign investment within the passeking industrial license, resulting in change existing investor to new foreign investor, will require ii. Licence applications will be considered and licence Promotion, Ministry of Commerce &amp; Industry Ministry of External Affairs.</li> <li>iii. Foreign investment in the sector is subject to securive. Investee company should be structured to be development. The investee/joint venture company have maintenance and life cycle support facility or</li> </ul>	in the ownershi uire Government ces given by the , in consultation rity clearance an self-sufficient ny along with m	p pattern or transfer of stake by approval.  Department of Industrial Policy & n with Ministry of Defence and ad guidelines of the M/o Defence. in areas of product design and nanufacturing facility, should also		

Services S	Sector			
Informati	on Services			
7.	Broadcasting			
7.1	Broadcasting Carriage Services			
7.1.1	(1) Teleports (setting up of up-linking HUBs/Teleports);	100%	Automatic up to 49%	
	<ul> <li>(2) Direct to Home (DTH);</li> <li>(3) Cable Networks [Multi System Operators (MSOs) operating at National or State or District level and undertaking up gradation of networks towards digitalization and addressability]:</li> <li>(4) Mobile TV;</li> <li>(5) Headend-in-the Sky Broadcasting Service (HITS)</li> </ul>		Government route beyond 49%	
7.1.2	Cable Networks (Other MSOs not undertaking upgradation of networks towards digitalization and addressability and Local Cable Operators (LCOs)).	100%	Automatic up to 49% Government route beyond 49%	
7.2	<b>Broadcasting Content Services</b>			
7.2.1	Terrestrial Broadcasting FM (FM Radio), subject to such terms and conditions, as specified from time to time, by Ministry of Information & Broadcasting, for grant of permission for setting up of FM Radio stations.	49%	Government	
7.2.2	Up-Linking of 'News & Current Affairs' TV Channels	49%	Government	
7.2.3	Up-linking a Non-'News & Current Affairs' TV Channels/Down-linking of TV Channels	100%	Automatic	
7.4	FDI for Up-linking/Down-linking TV Charlinking/Down-linking Policy notified by the linking/Investment (FI) in companies engage regulations and such terms and conditions, and the support of the support	Ministry of Information ged in all the aforestate	a & Broadcasting from time to time.  d services will be subject to relevant	
7.5	Information and Broadcasting.  The foreign investment (FI) limit in companies engaged in the afore stated activities shall include, in addition to FDI, investment by Foreign Institutional Investors (FIIs), Foreign Portfolio Investors(FPIs), Non-Resident Indians (NRIs), Foreign Currency Convertible Bonds (FCCBs), [ Depository Receipts issued under Schedule 10 of these Regulations with equity shares or compulsorily and mandatorily convertible preference shares or compulsory and mandatorily convertible debentures or warrant or any other security in which foreign direct investment can be made in terms of Schedule1 of the principal Regulations, as underlying] (GDRs) and convertible preference shares held by foreign entities.]			
7.6				

In case of the appointment of Directors on the Board of the Company and such key executives like Managing Director/Chief Executive Officer, Chief Financial Officer (CFO), Chief Security Officer (CSO), Chief Technical Officer (CTO), Chief Operating Officer (COO), etc., as may be specified by the Ministry of Information and Broadcasting from time to time, prior permission of the Ministry of Information and Broadcasting shall have to be obtained.

It shall be obligatory on the part of the company to also take prior permission from the Ministry of Information and Broadcasting before effecting any change in the Board of Directors.

(iv) The Company shall be required to obtain security clearance of all foreign personnel likely to be deployed for more than 60 days in a year by way of appointment, contract, and consultancy or in any other capacity for installation, maintenance, operation or any other services prior to their deployment. The security clearance shall be required to be obtained every two years.

#### Permission vis-a-vis Security Clearance

- (v) The permission shall be subject to permission holder/licensee remaining security cleared throughout the currency of permission. In case the security clearance is withdrawn the permission granted is liable to be terminated forthwith.
- (vi) In the event of security clearance of any of the persons associated with the permission holder/licensee or foreign personnel being denied or withdrawn for any reasons whatsoever, the permission holder/licensee will ensure that the concerned person resigns or his services terminated forthwith after receiving such directives from the Government, failing which the permission/license granted shall be revoked and the company shall be disqualified to hold any such Permission/license in future for a period of five years.

#### Infrastructure/Network/Software related requirement

- (vii) The officers/officials of the licensee companies dealing with the lawful interception of Services will be resident Indian citizens.
- (viii) Details of infrastructure/ network diagram (technical details of the network) could be provided on a need basis only, to equipment suppliers/manufactures and the affiliate of the licensee company. Clearance from the licensor would be required if such information is to be provided to anybody else.
- (ix) The Company shall not transfer the subscribers' databases to any person/place outside India unless permitted by relevant Law.
- (x) The Company must provide traceable identity of their subscribers.

# Monitoring, Inspection and Submission of Information

- (xi) The Company should ensure that necessary provision (hardware/software) is available in their equipment for doing the Lawful interception and monitoring from a centralized location as and when required by Government.
- (xii) The company, at its own costs, shall, on demand by the Government or its authorized representative, provide the necessary equipment, services and facilities at designated place(s) for continuous monitoring or the broadcasting service by or under supervision of the Government or its authorized representative.
- (xiii) The Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative shall have the right to inspect the broadcasting facilities. No prior permission/intimation shall be required to exercise the right of Government or its authorized representative to carry out the inspection. The company will, if required by the Government or its authorized representative, provide necessary facilities for continuous monitoring for any particular aspect of the company's activities and operations. Continuous monitoring, however, will be confined only to security related aspects, including screening of objectionable content.
- (xiv) The inspection will ordinarily be carried out by the Government of India, Ministry of Information & Broadcasting or its authorized representative after reasonable notice, except in circumstances where giving such a notice will defeat the very purpose of the inspection.
- (xv) The company shall submit such information with respect to its services as may be required by the Government or its authorized representative, in the format as may be required, from time to time.
- (xvi) The permission holder/licensee shall be liable to furnish the Government of India or its authorized representative or TRAI or its authorized representative, such reports, accounts, estimates, returns or such other relevant information and at such periodic intervals or such times as may be required.

The service providers should familiarize/train designated officials of the Government or officials of TRAI or its authorized representative(s) in respect of relevant operations/features of their systems.

### **National Security Conditions**

(xvii) It shall be open to the licensor to restrict the Licensee Company from operating in any sensitive area from the National Security angle. The Government of India, Ministry of Information and Broadcasting shall have the right to temporarily suspend the permission of the permission

	holder/Licensee in public interest or for national secur		
	direct. The company shall immediately comply with any directives issued in this regard failing		
	which the permission issued shall be revoked and the company disqualified to hold any such		
	permission, in future, for a period of five years.		
	(xviii) The company shall not import or utilize any equipment, which are identified as unlawful and/or		
	render network security vulnerable.		
	Other conditions		
	(xix) Licensor reserves the right to modify these conditions o		
	necessary in the interest of national security and pub	olic interest or for pro	oper provision of
	broadcasting services.		
	(xx) Licensee will ensure that broadcasting service installation	n carried out by it sho	ould not become a
	safety hazard and is not in contravention of any statute, rul	e or regulation and pub	olic policy.
8.	Print Media		
8.1	Publishing of newspaper and periodicals dealing with news	26%	Government
	and current affairs		
8.2	Publication of Indian editions of foreign magazines dealing	26%	Government
	with news and current affairs		
8.2.1	Other conditions		
	(i) 'Magazine', for the purpose of these guidelines, will be defi	ined as a periodical pu	blication, brought
	out on non-daily basis, containing public news or comments on		, .
	(ii) Foreign investment would also be subject to the Guidelin		Indian editions of
	foreign magazines dealing with news and current affairs iss		
	Broadcasting on 4-12-2008.		
8.3	Publishing/printing of Scientific and Technical Magazines/	100%	Government
	specialty journals/periodicals, subject to compliance with the		
	legal framework as applicable and guidelines issued in this		
	regard from time to time by Ministry of Information and		
	Broadcasting.		
8.4	Publication of facsimile edition of foreign newspapers	100%	Government
8.4.1	Other conditions:	10070	O O T C T T T T T T T T T T T T T T T T
0.111	(i) FDI should be made by the owner of the original foreign	newspapers whose fa	csimile edition is
	proposed to be brought out in India.	ne «spapers «nese ra	
	(ii) Publication of facsimile edition of foreign newspapers	can be undertaken o	only by an entity
	incorporated or registered in India under the provisions of the C		
	(iii) Publication of facsimile edition of foreign newspaper wo		
	publication of newspapers and periodicals dealing with news		
	facsimile edition of foreign newspapers issued by Ministry o		
	2006, as amended from time to time.	i information & Broa	acusting on 31 3
9.	Civil Aviation		
9.1	The Civil Aviation sector includes Airports, Scheduled and Nor	n-Scheduled domestic i	nassenger airlines
7.1	Helicopter services/Seaplane services, Ground Handling		
	organizations; Flying training institutes; and Technical training		nee and Repair
	For the purposes of the Civil Aviation sector:	mstrutions.	
	(i) "Airport" means a landing and taking off area for aircr	afts usually with run	ways and aircraft
	maintenance and passenger facilities and includes aerodrome as		
	Aircraft Act, 1934;	derined in clause (2)	or section 2 or the
	(ii) "Aerodrome" means any definite or limited ground or water	er area intended to be u	sed either wholly
	or in part, for the landing or departure of aircraft, and include		
	other structures thereon or pertaining thereto;	23 an banangs, sneas,	vessels, piers and
	(iii) "Air transport service" means a service for the transport by	vair of persons mails o	or any other thing
	animate or inanimate, for any kind of remuneration whatsoe		
	single flight or series of flights;	ver, whether such ser	vice consists of a
	(iv) "Air Transport Undertaking" means an undertaking whose	husiness includes the	carriage by air of
	passengers or cargo for hire or reward;	c ousiness merudes the	carriage by an or
	(v) "Aircraft component" means any part, the soundness and of	correct functioning of v	which when fitted
	to an aircraft, is essential to the continued airworthiness or sa		
	of equipment;	icry of the afferant allu	merades any nem
	(vi) "Helicopter" means a heavier than air aircraft supported in	n flight by the reactions	s of the air on one
	or more power driven rotors on substantially vertical axis;	i inght by the reactions	of the all the the
	(vii) "Scheduled air transport service" means an air transport s	ervice undertaken hetu	veen the same two
	or more places and operated according to a published time tal		
	that they constitute a recognizably systematic series, each flig		
	mai they constitute a recognizatily systematic series, each flig	in being open to use b	y members of the

	public; (viii) "Non-Scheduled air Transport service" service and will include Cargo airlines;	means any service w	hich is not a scheduled air transport	
	(ix) "Cargo airlines" would mean such airlines which meet the conditions as given in the Civil Aviation Requirements issued by the Ministry of Civil Aviation;			
	(x) "Seaplane" means an aeroplane capable n (xi) "Ground Handling" means (i) ramp hand	ormally of taking off t		
	activities as specified by the Ministry of Civil	Aviation through the	Aeronautical Information Circulars	
	from time to time, and (iii) any other activity ramp handling or traffic handling.	specified by the Centi	al Government to be a part of either	
9.2	Airports			
	(a) Greenfield projects	100%	Automatic	
	(b) Existing projects	100%	Automatic upto 74%; Government Route beyond 74%	
9.3	Air Transport Services		<u>,</u>	
	1) (a) Scheduled Air Transport Service/Domestic Scheduled Passenger Airline	49% (100% for NRIs)	Automatic	
	(b) Regional Air Transport Service			
	(2) Non-Scheduled Air Transport Service	100 %	Automatic	
	(3) Helicopter services/ seaplane services requiring DGCA approval	100%	Automatic	
9.3.1	Other Conditions			
9.3.1		mantin Cabadulad Dan	oansan Ainlinea. Non Cabadulad Ain	
	(a) Air Transport Services would include Doi		senger Airlines; Non-Scheduled Air	
	Transport Services, helicopter and seaplane ser (b) Foreign airlines are allowed to participa		omnoniae operating Cargo airlines	
	helicopter and seaplane services, as per the lim			
	(c) Foreign airlines are also allowed to inves			
	and non-scheduled air transport services, up to			
	would be subject to the following conditions:	the mint of 47% of the	ien paid-up capital. Such investment	
	(i) It would be made under the Governm	ent approval route.		
	(ii) The 49% limit will subsume FDI and			
	(iii) The investments so made would need		elevant regulations of SEBI, such as	
	the Issue of Capital and Disclosure R			
	of Shares and Takeovers (SAST) Reg			
	(iv) A Scheduled Operator's Permit can be			
	a) that is registered and has its			
	b) the Chairman and at least t		ctors of which are citizens of India;	
	and c) the substantial ownership an	nd effective control of	which is vested in Indian nationals.	
	(v) All foreign nationals likely to be a			
	transport services, as a result of suc	ch investment shall b	e cleared from security view point	
	before deployment; and			
	(vi) All technical equipment that might b			
	require clearance from the relevant at			
	Note: (i) The FDI limits/entry routes, napplicable in the situation where there is no			
	(ii) The dispensation for NRIs regarding FDI			
	regime specified at paragraph 9.3.1(c) (ii)		1	
	(iii) The policy mentioned at 9.3.1(c) above is		Air India Limited	
9.3.2	Foreign Airlines in the capital of the Indian	49% (100% for	Government	
	companies, operating schedule and non-	NRIs)		
	scheduled air transport services			
9.4	Other Services under Civil Aviation			
	sector			
	(1) Ground Handling Services subject to	100 %	Automatic	
	sectoral regulations and security clearance			
		l		

	1		T	
	(2) Maintenance and Repair organizations:		Automatic	
	flying training institutes and			
10	technical training institutions	1000		
10.	Courier services for carrying packages,		Automatic	
	parcels and other items which do not come			
	within the ambit of the Indian Post			
	Office Act, 1898 and excluding the activity			
11	relating to the distribution of letters	. D.14 . 6		
11.	Construction Development: Townships, H			
11.1	Construction-development projects (which		Automatic	
	would include development of townships, construction of residential/commercial			
	premises, roads or bridges, hotels, resorts,			
	hospitals, educational institutions,			
	recreational facilities, city and regional level			
	infrastructure, townships)			
11.2	Each phase of the construction development	project would be con	sidered as a senarate project for the	
11.2	purposes of FDI policy. Investment will be su			
	<ul> <li>(A) (i) The investor will be permitted to exit on completion of the project or after development of trunk infrastructure i.e. roads, water supply, street lighting, drainage and sewerage.</li> <li>(ii) Notwithstanding anything contained at (A) (i) above, a foreign investor will be permitted to exit and repatriate foreign investment before the completion of project under automatic route, provided that a lock-in-period of three years, calculated with reference to each tranche' of foreign investment has been completed. Further, transfer of stake from one non-resident to another non-</li> </ul>			
	resident, without repatriation of investing government approval.			
	<ul> <li>(B) The project shall conform to the norms and standards, including land use requirements are provision of community amenities and common facilities, as laid down in the applicable building control regulations, bye-laws, rules, and other regulations of the Standard Government/Municipal/Local Body concerned.</li> <li>(C) The Indian investee company will be permitted to sell only developed plots. For the purposes of this policy "developed plots" will mean plots where trunk infrastructure i.e. roads, water supply street lighting, drainage and sewerage, have been made available.</li> </ul>			
	those of the building/layout plans, deve facilities, payment of development, exte	e responsible for obtaining all necessary approvals, including veloping internal and peripheral areas and other infrastructure ternal development and other charges and complying with all under applicable rules/bye-Laws/regulations of the State oncerned.		
	(E) The State Government/Municipal building/development plans, will monition.  Note:		acerned, which approves the bove conditions by the developer.	
	i. It is clarified that FDI is not permitted estate business, construction of farm ho "Real estate business" means dealing in therefrom and does not include develop premises, roads or bridges, educational infrastructure, townships. Further, earn to transfer, will not amount to real estate	land and immovable poment of townships, co- institutions, recreation of rent income on	asferable development rights (TDRs). property with a view to earning profit construction of residential commercial nal facilities, city and regional level	
	ii. Condition of lock-in period at (A) abo Special Economic Zones (SEZs), Edu	ove will not apply to		
	NRIs. iii. Completion of the project will be deter			
	of State Governments.			
	iv. It is clarified that 100 % FDI under operation and management of towns Consequent to foreign investment, transform residents to non-residents is also three years, calculated with reference to	hips, malls/ shopping sfer of ownership and permitted. However,	g complexes and business centres. For control of the investee company there would be a lock-in-period of	
	or part thereof is not permitted during the		and transfer of mimovable property	

	v. "Transfer", in relation to FDI policy on the sector, includes,- a. the sale, exchange or relinquishment of the asset; or			
	b. the extinguishment of any rights therein; or			
	c. the compulsory acquisition thereof under any law; or			
	d. any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken or			
	retained in part performance of a contrac	t of the nature referred	d to in section 53A of the Transfer of	
	Property Act, 1882 (4 of 1882); or			
	e. any transaction, by acquiring shares in a			
	or in any other manner whatsoever, which	th has the effect of tra	nsferring, or enabling the enjoyment	
12	of, any immovable property.	1000/	Automotic	
12. 12.1	Industrial Parks -New and existing  (i) "Industrial Park" is a project in which qual	100%	Automatic	
12.1	built up space or a combination with comm			
	allottee units for the purposes of industrial acti		oped and made available to all the	
	(ii) "Infrastructure" refers to facilities required		nits located in the Industrial Park and	
	includes roads (including approach roads), ra			
	connectivities to the main railway line, water			
	telecom network, generation and distribution of			
	(iii) "Common Facilities" refer to the facilitie			
	and include facilities of power, roads (inc	luding approach roa	ds), railway line/sidings including	
	electrified railway lines and connectivities			
	common effluent treatment, common testin			
	buildings, industrial canteens, convention/con			
	aid center, ambulance and other safety service	_	and such other facilities meant for	
	common use of the units located in the Industr			
	(iv) "Allocable area" in the Industrial Park me		a evailable for allegation to the units	
	(a) in the case of plots of developed excluding the area for common for		a available for allocation to the units,	
	(b) in the case of built up space -		milt-up space utilized for providing	
	common facilities.	the froot area and o	and up space admized for providing	
		developed land and b	uilt-up space - the net site and floor	
			e site area and built-up space utilized	
	for providing common facilities.			
	(v) "Industrial Activity" means manufacturing; electricity; gas and water supply; post and			
	telecommunications; software publishing, consultancy and supply; data processing, database activities			
	and distribution of electronic content; other computer related activities; basic and applied R&D on bio technology, pharmaceutical sciences/life sciences, natural sciences and engineering; business and			
12.2	management consultancy activities; and archiv FDI in Industrial Parks would not be sub			
12.2	development projects etc. spelt out in para 11			
	mentioned conditions:	above, provided the i	ndustriar i arks meet with the ander	
	(i) it would comprise of a minimum of 10 ur	nits and no single uni	t shall occupy more than 50% of the	
	allocable area;	· ·		
	(ii) the minimum percentage of the area to be	allocated for industri	al activity shall not be less than 66%	
	of the total allocable area.	T		
13.	Satellites - Establishment and operation	1000		
13.1	Satellites Establishment and operation,	100%	Government	
	subject to the sectoral guidelines of Department of Space/ISRO			
14.	Private Security Agencies	49%	Government	
14.	Tivate Security Agencies	47/0	Government	
15.	Telecom services (including Telecom	100%	Automatic upto 49%	
	Infrastructure Providers Category-l)		Government route beyond 49%	
	All telecom services including Telecom			
	Infrastructure Providers Category-I, viz.			
	Basic, Cellular, United Access Services,			
	Unified license (Access services), Unified			
	License, National/ International Long			
	Distance, Commercial V-Sat, Public Mobile			
	Radio Trunked Services (PMRTS), Global Mobile Personal Communications Services			
	MIODIE FEISORA COMMUNICATIONS SERVICES	1		

	(GMPCS), All types of ISP licenses, Voice			
	Mail/Audiotex / UMS, Resale of IPLC,			
	Mobile Number Portability services,			
	Infrastructure Provider Category-I			
	(providing dark fibre, right of way, duct			
	space, tower) except Other Service			
	Providers.			
15.1.1	Other Condition			
	FDI up to 100% with 49% on the automatic r			
	observance of licensing and security conditi			
	Department of Telecommunications (DoT) from	om time to time, except	t "Other Service Providers".	, which
	are allowed 100% FDI on the automatic route.	T		
16.	Trading			
16.1	(i) Cash & Carry Wholesale	100%	Automatic	
	Trading/Wholesale Trading (including			
	sourcing from MSEs)			
16.1.1	Definition: Cash & Carry Wholesale trading/V			
	to retailers, industrial, commercial, instituti			
	wholesalers and related subordinated service			
	sales for the purpose of trade, business and p			
	consumption. The yardstick to determine wh			• •
	customers to whom the sale is made and not			
		sale, bulk imports wi	ith ex-port/ ex-bonded war	rehouse
	business sales and B2B e-Commerce.			
16.1.2	Guidelines for Cash & Carry Wholesale Tra			
	(a) For undertaking 'WT', requisite license			
	Acts/Regulations/Rules/Orders of the State			nority /
	Local Self-Government Body under that State			
	(b) Except in case of sales to Government, sale			
	carry wholesale trading/wholesale trading' wi	th valid business custo	omers, only when WT are n	nade to
	the following entities:			
	(i) Entities holding sales tax/VAT registrati			
	(ii) Entities holding trade licenses			
	certificate/registration under Shops at			
	Authority/Government Body/ Local Self-			
	holding the license/registration certification			be, is
	itself/himself/herself engaged in a business (iii) Entities holding permits/license etc.			cimilar
	license for hawkers) from Government Aut			Sillilai
	(iv) Institutions having certificate of incorp			nublic
	trust for their self consumption.	oration of registration a	is a society of registration as	s public
	Note: An Entity, to whom WT is made, may	fulfil anyone of the 4	conditions	
	(c) Full records indicating all the details of s			tration/
	license/permit etc. number, amount of sale etc.		•	stration/
	(d) WT of goods would be permitted among c			o groun
	companies taken together should not exceed 2:			o group
	(e) WT can be undertaken as per normal busi			subject
	to applicable regulations.	ness praesice, merading	5 contenuing tream ruemass	susject
	(f) A wholesale/cash & carry trader can unde	rtake single brand retai	il trading, subject to the cor	nditions
	mentioned in para 16.3. An entity undertaking	_		
	mandated to maintain separate books of accou			
	the statutory auditors. Conditions of the FDI			
	business have to be separately complied with b			
16.2	B2B E-commerce activities		Automatic	
	E-commerce activities refer to the activity of			nmerce
	platform. Such companies would engage only			
	retail trading, inter alia implying that exist			
	applicable to e-commerce as well.	÷	Č	
16.2		1000/	A 224 - 22-4 !	1007
16.3	Single Brand product retail trading	100%	Automatic up to	
İ			Government beyond 49%	route
		•	novona /III/-	

- 1) Foreign Investment in Single Brand product retail trading is aimed at attracting investments in production and marketing, improving the availability of such goods for the consumer, encouraging increased sourcing of goods from India, and enhancing competitiveness of Indian enterprises through access to global designs, technologies and management practices.
- 2) FDI in Single Brand product retail trading would be subject to the following conditions:
  - a) Products to be sold should be of a 'Single Brand' only.
  - b) Products should be sold under the same brand internationally i.e. products should be sold under the same brand in one or more countries other than India.
  - c) 'Single Brand' product-retail trading would cover only products which are branded during manufacturing. A non-resident entity or entities, whether owner of the brand or otherwise, shall be permitted to undertake 'single brand' product retail trading in the country for the specific brand, directly or through a legally tenable agreement with the brand owner for undertaking single brand product retail trading. The onus for ensuring compliance with this condition will rest with the Indian entity carrying out single-brand product retail trading in India. The investing entity shall provide evidence to this effect at the time of seeking approval, including a copy of the licensing/franchise/sub-licence agreement, specifically indicating compliance with the above condition. The requisite evidence should be filed with the RBI for the automatic route and SIA/FIPB for cases involving approval.
  - d) In respect of proposals involving FDI beyond 51%, sourcing of 30 of the value of goods purchased, will be done from India, preferably from MSMEs, village and cottage industries, artisans and craftsmen, in all sectors. The quantum of domestic sourcing will be self-certified by the company, to be subsequently checked, by statutory auditors, from the duly certified accounts which the company will be required to maintain. This procurement requirement would have to be met annually from the commencement of the business i.e. opening of the first store. For the purpose of ascertaining the sourcing requirement, the relevant entity would be the company, incorporated in India, which is the recipient of Foreign Investment for the purpose of carrying out single-brand product retail trading.
  - e) Subject to the conditions mentioned in this Para, a single brand retail trading entity operating through brick and mortar stores, is permitted to undertake retail trading through e-commerce.
- 3) Application seeking permission of the Government for FDI exceeding 49 in a company which proposes to undertake single brand retail trading in India would be made to the Secretariat for Industrial Assistance (SIA) in the Department of Industrial Policy & Promotion. The applications would specifically indicate the product/product categories which are proposed to be sold under a 'Single Brand'. Any addition to the product/product categories to be sold under 'Single Brand' would require a fresh approval of the Government. In case of FDI up to 49 %, the list of products/product categories proposed to be sold except food products would be provided to the RBI.
- 4) Applications would be' processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.

#### Note:

- i. Conditions mentioned at Para (2) (b) & (2) (d) will not be applicable for undertaking SBRT of Indian brands.
- ii. An Indian manufacturer is permitted to sell its own branded products in any manner i.e. wholesale, retail, including through e-commerce platforms.
- iii. Indian manufacturer would be the investee company, which is the owner of the Indian brand and which manufactures in India, in terms of value, at least 70% of its products in house, and sources, at most 30% from Indian manufacturers.
- iv. Indian brands should be owned and controlled by resident Indian citizens and/or companies which are owned and controlled by resident Indian citizens.
- v. Government may relax sourcing norms for entities undertaking single brand retail trading of products having 'state-of-art' and 'cutting-edge' technology and where local sourcing is not possible.

# 16.4 **Multi Brand Retail Trading** 51% Government

- (1) FDI in multi brand retail trading, in all products, will be permitted, subject to the following conditions:
  - (i) Fresh agricultural produce, including fruits, vegetables, flowers, grains, pulses, fresh poultry, fishery and meat products, may be unbranded.
  - (ii) Minimum amount to be brought in, as FDI, by the foreign investor, would be US \$ 100 million.
  - (iii) At least 50% of total FDI brought in the first tranche of US \$ 100 million, shall be invested in 'back-end infrastructure' within three years, where 'back-end infrastructure' will include capital expenditure on all activities, excluding that on front-end units; for instance, back-end infrastructure will include investment made towards processing, manufacturing, distribution, design improvement,

quality control, packaging, logistics, storage, warehouse, agriculture market produce infrastructure etc. Expenditure on land cost and rentals, if any, will not be counted for purposes of back-end infrastructure. Subsequent investment in the back-end infrastructure would be made by the MBRT retailer as needed, depending upon its business requirements.

- (iv) At least 30% of the value of procurement of manufactured/processed products purchased shall be sourced from Indian micro, small and medium industries, which have a total investment in plant & machinery not exceeding US \$ 2.00 million. This valuation refers to the value at the time of installation, without providing for depreciation. The 'small industry' status would be reckoned only at the time of first engagement with the retailer and such industry shall continue to qualify as a 'small industry' for this purpose, even if it outgrows the said investment of US \$ 2.00 million during the course of its relationship with the said retailer. Sourcing from agricultural co-operatives and farmers co-operatives would also be considered in this category. The procurement requirement would have to be met, in the first instance, as an average of five years total value of the manufactured/processed products purchased, beginning 1st April of the year during which the first tranche of FDI is received. Thereafter, it would have to be met on an annual basis.
- (v) Self-certification by the company, to ensure compliance of the conditions at serial Nos. (i), (ii) and (iv) above, which could be cross-checked, as and when required. Accordingly, the investors shall maintain accounts, duly certified by statutory auditors.
- (vi) Retail sales outlets may be set up only in cities with a population of more than 10 lakh as per the 2011 Census or any other cities as per the decision of the respective State Governments, and may also cover an area of 10 kms. Around the municipal/urban agglomeration limits of such cities; retail locations will be restricted to conforming areas as per the Master/Zonal Plans of the concerned cities and provision will be made for requisite facilities such as transport connectivity and parking. (vii) Government will have the first right to procurement of agricultural products.
- (viii) The above policy is an enabling policy only and the State Governments/Union Territories would be free to take their own decisions in regard to implementation of the policy. Therefore, retail sales outlets may be set up in those States/Union Territories which have agreed, or agree in future, to allow FDI in MBRT under this policy. The list of States/Union Territories which have conveyed their agreement is at (2) below. Such agreement, in future, to permit establishment of retail outlets under this policy, would be conveyed to the Government of India through the Department of Industrial Policy & Promotion and additions would be made to the list at (2) below accordingly. The establishment of the retail sales outlets will be in compliance of applicable State/Union Territory laws/ regulations, such as the Shops and Establishments Act etc.
- (ix) Retail trading, in any form, by means of e-commerce, would not be permissible, for companies with FDI, engaged in the activity of multi-brand retail trading.
- (x) Applications would be processed in the Department of Industrial Policy & Promotion, to determine whether the proposed investment satisfies the notified guidelines, before being considered by the FIPB for Government approval.
- (2) List of States/Union Territories as mentioned in Paragraph 16.4.(1) (viii)
- 1. Andhra Pradesh
- 2.Assam
- 3.Delhi
- 4.Haryana
- 5. Himachal Pradesh
- 6.Jammu & Kashmir
- 7. Karnataka
- 8. Maharashtra
- 9.Manipur
- 10.Rajasthan
- 11.Uttarakhand
- 12.Daman & Diu and Dadra and Nagar Haveli (Union Territories)

Customs Act, 1962 and other laws, rules and regulations.

16.5 Duty Free Shops 100% Automatic

(i) Duty Free Shops would mean shops set up in custom bonded area at International Airports/

International Seconds and Lond Custom Stations where there is transit of international research

- International Seaports and Land Custom Stations where there is transit of international passengers.

  (ii) Foreign investment in Duty Free Shops is subject to compliance of conditions stipulated under the
- (iii) Duty Free Shop entity shall not engage into any retail trading activity in the Domestic Tariff Area of the country.

#### FINANCIAL SERVICES

Foreign investment in other financial services, other than those indicated below, would require prior approval of the Government:

F.1	Asset Reconstruction Companies			
F.1.1	'Asset Reconstruction Company' (ARC)	100%	Automatic up to 49%	
1.1.1	means a company registered with the	100 //	Government route	
	Reserve Bank of India under Section 3 of the		beyond 49%	
	Securitisation and Reconstruction of			
	Financial Assets and Enforcement of			
	Security Interest Act, 2002 (SARFAESI			
	Act).			
F.1.1.2	Other Conditions (i) Persons resident outside India can invest i			
	registered with Reserve Bank, up to 49% on route.	the automatic route, and beyond	d 49% on the Government	
1	(ii) No sponsor may hold more than 50% of routing it through an FII/FPI controlled by the		ther by way of FDI or by	
	(iii) The total shareholding of an individual FL	I/FPI shall be below 10% of the		
	(iv) FIIs/FPIs can invest in the Security Received			
	FIIs/FPIs can invest up to 74 per cent of each	ch tranche of scheme of SRs. S	such investment should be	
	within the FII/FPI limit on corporate bonds pr	rescribed from time to time, and	sectoral caps under extant	
	FDI Regulations should also be complied with		1	
	(v) All investments would be subject to		f) of Securitization and	
	Reconstruction of Financial Assets and Enforce			
F.2	Banking - Private sector		I	
F.2.1	Banking - Private sector	74%	Automatic upto 49%	
Г.2.1	Danking - Private sector	14%		
			beyond 49% and upto	
			74%	
F.2.2	Other conditions:			
	1) This 74% limit will include investment u	nder the Portfolio Investment S	cheme (PIS) by FIIs/FPIs,	
	NRIs and shares acquired prior to Septer			
	include investment made by non-reside			
	acquisition of shares from existing shareh		ments, DKs and through	
			will be allowed on to a	
	2) The aggregate foreign investment in a p			
	maximum of 74 per cent of the paid-up c			
	paid up capital will have to be held by res	sidents, except in regard to a who	olly-owned subsidiary of a	
	foreign bank.			
	3) The stipulations as above will be applicab	le to all investments in existing	private sector banks also.	
	4) The permissible limits under portfolio in	vestment schemes through stoc	k exchanges for FIIs/FPIs	
	and NRIs will be as follows:	2	2	
	(i) In the case of FIIs/FPIs, as hitherto, in	ndividual FII/FPI holding is rest	ricted to below 10 per cent	
	of the total paid-up capital, aggregate			
	the total paid-up capital, which can be			
	up capital by the bank concerned thro	•	of Directors followed by a	
	special resolution to that effect by its (			
	a. In the case of NRIs, as hitherto, individual holding is restricted to 5 per cent of the total paid-up			
	capital both on repatriation and no			
	per cent of the total paid-up capital	both on repatriation and non-re	patriation basis. However,	
	NRI holding can be allowed up to 2	24 per cent of the total paid-up of	capital both on repatriation	
	and non- repatriation basis provide			
	effect in the General Body.		1	
	b. Applications for foreign direct in	vestment in private banks havir	ng ioint venture/subsidiary	
	in insurance sector may be address			
	in consultation with the Insurance			
	in order to ensure that the 49 p		ioloing applicable for the	
	insurance sector is not being breac			
	c. Transfer of shares under FDI fr			
	approval of RBI and Government			
	d. The policies and procedures preso			
	as SEBI, Ministry of Corporate Af			
	e. RBI guidelines relating to acquisi			
	if such acquisition results in any p			
	up capital of the private bank will	apply to non- resident investors	as well	

	<ul> <li>(ii) Setting up of a subsidiary by foreign banks</li> <li>(a) Foreign banks will be permitted to either have branches or subsidiaries but not both.</li> <li>(b) Foreign banks regulated by banking supervisory authority in the home country and meeting Reserve Bank's licensing criteria will be allowed to hold 100 per cent paid-up capital to enable them to set up a wholly-owned subsidiary in India.</li> <li>(c) A foreign bank may operate in India through only one of the three channels viz., (i) branches (ii) a wholly-owned subsidiary and (iii) a subsidiary with aggregate foreign investment up to a maximum of 74 per cent in a private bank.</li> <li>(d) A foreign bank will be permitted to establish a wholly-owned subsidiary either through conversion of existing branches into a subsidiary or through a fresh banking license. A foreign bank will be permitted to establish a subsidiary through acquisition of shares of an existing private sector bank provided at least 26 per cent of the paid-up capital of the private sector bank is held by residents at all times consistent with para (i) (b) above.</li> <li>(e) A subsidiary of a foreign bank will be subject to the licensing requirements and conditions broadly consistent with those for new private sector banks.</li> <li>(f) Guidelines for setting up a wholly-owned subsidiary of a foreign bank will be issued separately by RBI.</li> <li>(g) All applications by a foreign bank for setting up a subsidiary or for conversion of their existing branches to subsidiary in India will have to be made to the RBI.</li> <li>(iii) At present there is a limit of ten per cent on voting rights in respect of banking companies, and this should be noted by potential investor. Any change in the ceiling can be brought about only after final</li> </ul>			
	policy decisions and appropriate Parliamentary		agni about only arter imal	
F.3	Banking - Public Sector	approvide.		
F.3.1	Banking - Public Sector subject to Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Acts, 1970/80. This ceiling (20%) is also applicable to the	20%	Government	
	State Bank of India and its associate banks.			
F.4	Commodity Exchanges		(D. 1.1.) 1.1070	
F.4.1	<ol> <li>Futures trading in commodities are regula Commodity Exchanges, like Stock Exc futures market. With a view to infuse glol and latest technology, it was decided to al</li> <li>For the purposes of this Chapter,</li> <li>"Commodity Exchange" is a recognized (Regulation) Act, 1952, as amended from t forward contracts in commodities.</li> </ol>	hanges, are infrastructure combally acceptable best practices, a low foreign investment in Compassociation under the provisions	panies in the commodity modern management skills modity Exchanges. s of the Forward Contracts	
	<ul> <li>(ii) "Recognized association" means an assogranted by the Central Government under se</li> <li>(iii) "Association" means any body of indipurposes of regulating and controlling the commodity derivative.</li> <li>(iv) "Forward contract" means a contract for contract.</li> <li>(v) "Commodity derivative" means— <ul> <li>a contract for delivery of goods, which</li> <li>a contract for differences which defunderlying goods or activities, services, righ with the SEBI by the Central Government, b</li> </ul> </li> </ul>	ction 6 of the Forward Contracts viduals, whether incorporated be business of the sale or pur or the delivery of goods and whis not a ready delivery contract; rives its value from prices or ts, interests and events, as may be	s (Regulation) Act, 1952. or not, constituted for the rehase of any goods and ich is not a ready delivery or indices of prices of such	
F.4.2	Commodity Exchange	49%	Automatic	
F.4.3	Other conditions:  (i) FII/FPI purchases shall be restricted to secondary market only.  (ii) No non-resident investor/entity, including persons acting in concert, will hold more than 5% of the equity in these companies.  (iii) Foreign investment in commodity exchanges will be subject to the guidelines of the Central Government / SEBI from time to time.			
F.5	Credit Information Companies (CIC)			
F.5.1	Credit Information Companies	100 %	Automatic	
F.5.2	Other Conditions: (1) Foreign investment in Credit Information Companies is subject to the Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005.			

(2) Foreign investment is permitted subject to regulatory clearance from RBI. (3) Such FII/FPI investment would be permitted subject to the conditions that: (a) A single entity should directly or indirectly hold below 10% equity; (b) Any acquisition in excess of 1 % will have to be reported to RBI as a mandatory requirement; and (c) FIIs investing in CICs shall not seek a representation on the Board of Directors based upon their shareholding. F.6 **Infrastructure Company in the Securities** Market F.6.1 Infrastructure companies Securities Automatic in Markets, namely, stock exchanges, depositories and clearing corporations, in compliance with SEBI Regulations F.6.2 Other Conditions: F.6.2.1 FII/FPI can invest only through purchases in the secondary market F.7. Insurance F.7.1 Insurance 49% Automatic upto 26%.: (i) Insurance Company Government route (ii) Insurance Brokers beyond 26% and upto (iii) Third Party Administrators 49% (iv) Surveyors and Loss Assessors (v) Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) F.7.2 Other Conditions: (a) No Indian insurance company shall allow the aggregate holdings by way of total foreign investment in its equity shares by foreign investors, including portfolio investors, to exceed forty-nine percent of the paid up equity capital of such Indian insurance company. (b) Foreign direct investment proposals which take the total foreign investment in the Indian insurance company above 26 percent and up to the cap of 49 percent shall be under Government route. (c) Foreign investment in the sector is subject to compliance of the provisions of the Insurance Act, 1938 and the condition that Companies bringing in FDI shall obtain necessary license from the Insurance Regulatory & Development Authority of India for undertaking insurance activities. (d)An Indian insurance company shall ensure that its ownership and control remains at all times in the hands of resident Indian entities as determined/notified by Department of Fianncial Services. (e)Foreign portfolio investment in an Indian insurance company shall be governed by the provisions contained in sub-regulations (2), (2A), (3) and (8) of regulation 5 of FEMA Regulations, 2000 and provisions of the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations. (f) Any increase of foreign investment of an Indian insurance company shall be in accordance with the pricing guidelines specified by Reserve Bank of India under the FEMA. (g) The foreign equity investment cap of 49 percent shall apply on the same terms as above to Insurance Brokers, Third Party Administrators, Surveyors and Loss Assessors and Other Insurance Intermediaries appointed under the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of (h)Provided that where an entity like a bank, whose primary business is outside the insurance area, is allowed by the Insurance Regulatory and Development Authority of India to function as an insurance intermediary, the foreign equity investment caps applicable in that sector shall continue to apply, subject to the condition that the revenues of such entities from their primary (i.e. non-insurance related) business must remain above 50 percent of their total revenues in any financial year. (i) The provisions of paragraphs F.2.2 (3) (i) (c) & (e), relating to 'Banking-Private Sector', shall be applicable in respect of bank promoted insurance companies. (j) Terms 'Control', 'Equity Share Capital', 'Foreign Direct Investment' (FDI), 'Foreign Investors', 'Foreign Portfolio Investment', 'Indian Insurance Company', 'Indian Company', 'Indian Control of an Indian Insurance Company', 'Indian Ownership', 'Non-resident Entity', 'Public Financial Institution', 'Resident Indian Citizen', 'Total Foreign Investment' will have the same meaning as provided in Notification No. G.S.R 115 (E), dated 19th February, 2015.

- T-0	N D II EI G I ANDEG	1			
F.8.	Non-Banking Finance Companies (NBFCs)	1000			
F.8.1	Foreign investment in NBFC is allowed under the	100%	Automatic		
	automatic route in only the following activities:				
	(i) Merchant Banking				
	(ii) Underwriting				
	(iii) Portfolio Management Services				
	(iv) Investment Advisory Services				
	(v) Financial Consultancy				
	(vi) Stock Broking				
	(vii) Asset Management				
	(viii) Venture Capital (ix) Custodian Services				
	(ix) Custodian Services (x) Factoring				
	(xi) Credit Rating Agencies				
	(xii) Leasing & Finance				
	(xiii) Housing Finance				
	(xiv) Forex Broking				
	(xv) Credit Card Business				
	(xvi) Money Changing Business				
	(xvii) Micro Credit				
	(xviii) Rural Credit				
F.8.2	Other Conditions				
1.0.2	(1) Investment would be subject to the following minimum	ım capitalisation nor	ms:		
	(i) US \$0.5 million for foreign capital up to 51 %				
	(ii) US \$ 5 million for foreign capital more than 5				
	(iii) US \$ 50 million for foreign capital more th				
	brought upfront and the balance in 24 months.				
	(iv) NBFCs (i) having foreign investment more	than 75% and up	to 100%, and (ii) with a		
	minimum capitalisation of US\$ 50 million, can se				
	activities, without any restriction on the number of				
	additional capital. The minimum capitalization co				
	Circular 1 on Consolidated FDI Policy, therefore, shall not apply to downstream subsidiaries.				
	(v) Joint Venture operating NBFCs that have 75%				
	set up subsidiaries for undertaking other NBF				
	complying with the applicable minimum capitalisat	ion norm mentioned	in (i), (ii) and (iii) above		
	and (vi) below.	1 1 1 6	6 11 1 6 1		
	(vi) Non-Fund based activities: US\$ 0.5 million to				
	based NBFCs irrespective of the level of foreign inv				
	It would not be permissible for such a company to s		for any other activity, nor		
	it can participate in any equity of an NBFC holding/o Note: The following activities would be classif		sad activities:		
	(a) Investment Advisory Services	iicu as Noii-Fuiiu Da	sed activities.		
	(b) Financial Consultancy				
	(c) Forex Broking				
	(d) Money Changing Business				
	(e) Credit Rating Agencies				
	(vii) This will be subject to compliance with the	guidelines of RBI.			
	Note: (i) Credit Card business includes issuance, sales, ma		various payment products		
	such as credit cards, charge cards, debit cards, stored value				
	(ii) Leasing & Finance covers only financial leases and				
	FDI in operating leases is permitted up to 100 % on				
	(2) The NBFC will have to comply with the guidelines of		or/s, as applicable.		
F.8.3	White Label ATM Operations	100%	Automatic		
	Other Conditions:		_		
	i. Any non-bank entity intending to set up a WLAs s				
	crore as per the latest financial year's audited balanc				
	ii. In case the entity is also engaged in any other 18 N				
	the company setting up WLA, shall have to complete the company in NRFC activities as a required in		n capitalisation norms for		
	foreign investment in NBFC activities, as provided i		ened by DDI vide Cinevilan		
	iii. FDI in the WLAO will be subject to the specific crite No. DPSS,CO.PD.No.2298/02.10.002/2011-12, as an				
	No. Dess, Co.ed. No. 2298/02.10.002/2011-12, as an	nenueu iroin time to	ume.		

F.9	Power Exchanges				
F.9.1	Power Exchanges under the Central Electricity	49%	Automatic		
	Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010				
F.9.2	Other conditions				
	(i) FII purchases shall be restricted to secondary				
	market only;				
	(ii) No non-resident investor/entity, including persons acting in concert, will hold more than				
	5% of the equity in these companies; and				
	(iii) The foreign investment would be in				
	compliance with SEBI Regulations; other applicable laws/regulations; security and other				
	conditionalities.				
F.10	Pension Sector	49%	Automatic up to 26%;		
			Government route		
			beyond 26% and up to 49%		
17.	Pharmaceuticals		77 //		
17.1	Greenfield	100%	Automatic		
17.2	Brown Field	100%	Government		
17.3	Other Conditions	4 in anasial ainauma	on oo with the enmoyed of		
	<ul><li>(i) 'Non-compete' clause would not be allowed excep the Foreign Investment Promotion Board.</li></ul>	u in special circumst	ances with the approval of		
	(ii)The prospective investor and the prospective inve	estee are required to	provide a certificate along		
	with the FIPB application.				
	(iii)Government may incorporate appropriate conditions for FDI in brownfield cases, at the time of				
	granting approval.  Note:				
	i. FDI upto 100% under the automatic route is permitted for manufacturing of medical devices. The				
	abovementioned conditions will, therefore, not be applicable to greenfield as well as brownfield projects				
	of this industry.  ii. Medical device means:-				
	a) Any instrument, apparatus, appliance, implant, ma	aterial or other article	e, whether used alone or in		
	combination, including the software, intended by its		used specially for human		
	beings or animals for one or more of the specific pur (aa) Diagnosis, prevention, monitoring, treatment or		sassa or disordar		
	(ab) diagnosis, monitoring, treatment, alleviation of,				
	(ac) investigation, replacement or modification or				
	process;				
	<ul><li>(ad)supporting or sustaining life;</li><li>(ae) disinfection of medical devices;</li></ul>				
	(af) control of conception;				
	and which does not achieve its primary intended act				
	pharmacological or immunological or metabolic me	ans, but which may	be assisted in its intended		
	function by such means; b) an accessory to such an instrument, apparatus, appliance, material or other article;				
	c) a device which is reagent, reagent product, calibrator, control material, kit, instrument,				
	apparatus, equipment or system whether used alone or in combination thereof intended to be used				
	for examination and providing information for medical or diagnostic purposes by n examination of specimens derived from the human body or animals.				
	e amendment in Drugs and				
	Cosmetics Act.				
18	Railway Infrastructure	1000	A		
	Construction, operation and maintenance of the following:	100%	Automatic		
	(i)Suburban corridor projects through PPP, (ii) speed				
	train projects, (iii) Dedicated freight lines, (iv) Rolling				
	stock including train sets, and locomotives/coaches				
	manufacturing and maintenance facilities, (v) Railway Electrification, (vi) Signaling systems, (vii) Freight				
	Electrification, (vi) Signating systems, (vii) Freight				

terminals, (viii) Passenger terminals, (ix) Infrastructure in industrial park pertaining to railway line/sidings including electrified railway lines and connectivities to main railway line and (x) Mass Rapid Transport Systems.
Note:- (i) Foreign Direct Investment in the abovementioned activities open to private participation including FDI is subject to sectoral guidelines of Ministry of Railways. (ii) Proposals involving FDI beyond 49% in sensitive areas from security point of view, will be brought by the Ministry of Railways before the Cabinet Committee on Security (CCS) for consideration on a case to case basis.

#### D. In Schedule 9,

# (i) the existing paragraph 4 shall be amended as under, namely:

## "4. Entry Route

FDI in LLPs is permitted, subject to the following conditions:

- i. FDI is permitted under the automatic route in LLPs operating in sectors/activities where 100% FDI is allowed through the automatic route and there are no FDI linked performance conditions.
- ii. An Indian company or an LLP, having foreign investment, will be permitted to make downstream investment in another company or LLP engaged in sectors in which 100% FDI is allowed under the automatic route and there are no FDI-linked performance conditions. Onus shall be on the Indian company/ LLP accepting downstream investment to ensure compliance with the above conditions.
- iii. FDI in LLP is subject to the compliance of the conditions of LLP Act, 2008."

# (ii) the existing paragraph 8 shall stands deleted.

#### E. The existing Schedule 11 shall be substituted by the following, namely:

# "Schedule 11

[See Regulation 5(10)]

# Investment by a person resident outside India in an Investment Vehicle

- 1. A person resident outside India including an RFPI and an NRI may invest in units of Investment Vehicles subject to the conditions laid down in this Schedule.
- 2. The payment for the units of an Investment Vehicle acquired by a person resident or registered / incorporated outside India shall be made by an inward remittance through the normal banking channel including by debit to an NRE or an FCNR account.
- 3. A person resident outside India who has acquired or purchased units in accordance with this Schedule may sell or transfer in any manner or redeem the units as per regulations framed by SEBI or directions issued by RBI.
- 4. Downstream investment by an Investment Vehicle shall be regarded as foreign investment if either the Sponsor or the Manager or the Investment Manager is not Indian 'owned and controlled' as defined in Regulation 14 of the principal Regulations.

Provided that for sponsors or managers or investment managers organized in a form other than companies or LLPs, SEBI shall determine whether the sponsor or manager or investment manager is foreign owned and controlled.

Explanation 1: Ownership and control is clearly determined as per the extant FDI policy. AIF is a pooled investment vehicle. 'Control' of the AIF should be in the hands of 'sponsors' and 'managers/investment managers', with the general exclusion to others. In case the 'sponsors and 'managers/investment managers' of the AIF are individuals, for the treatment of downstream investment by such AIF as domestic, 'sponsors' and 'managers/investment managers' should be resident Indian citizens.

Explanation 2: The extent of foreign investment in the corpus of the Investment Vehicle will not be a factor to determine as to whether downstream investment of the Investment Vehicle concerned is foreign investment or not.

5. Downstream investment by an Investment Vehicle that is reckoned as foreign investment shall have to conform to the sectoral caps and conditions / restrictions, if any, as applicable to the company in which the downstream investment is made as per the FDI Policy or Schedule 1 of the principal Regulations.

- 6. Downstream investment in an LLP by an Investment Vehicle that is reckoned as foreign investment has to conform to the provisions of Schedule 9 of the principal Regulations as well as the extant FDI policy for foreign investment in LLPs.
- 7. An Alternative Investment Fund Category III with foreign investment shall make portfolio investment in only those securities or instruments in which a Registered Foreign Portfolio Investor is allowed to invest under the principal Regulations.
- 8. The Investment Vehicle receiving foreign investment shall be required to make such report and in such format to Reserve Bank of India or to SEBI as may be prescribed by them from time to time."

[ No. 1/1/EM/2016]

B.P. KANUNGO, Principal Chief General Manager

## Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R.No. 413(E) dated 11.07.2006
G.S.R.No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R.No. 712(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R.No. 713(E) dated 14.11.2007
G.S.R.No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R.No. 737(E) dated 29.11.2007
G.S.R.No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R.No. 575(E) dated 05.08.2008
G.S.R.No. 223(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 896(E) dated 30.12.2008
G.S.R.No. 225(E) dated 18.03.2003	G.S.R.No. 851(E) dated 01.12.2009
G.S.R.No. 558(E) dated 22.07.2003	G.S.R.No. 341 (E) dated 21.04.2010
G.S.R.No. 835(E) dated 23.10.2003	G.S.R.No. 821 (E) dated 10.11.2012
G.S.R.No. 899(E) dated 22.11.2003	G.S.R.No. 606(E) dated 03.08.2012
G.S.R.No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R.No. 795(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R.No. 796(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012
G.S.R.No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R.No. 945 (E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R. No.946(E) dated 31.12.2012
G.S.R.No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No.38(E) dated 22.01.2013
G.S.R.No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R.No.515(E) dated 30.07.2013
G.S.R.No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R.No.532(E) dated 05.08.2013
G.S.R.No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No.341(E) dated 28.05.2013
G.S.R.No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R.No.344(E) dated 29.05.2013
G.S.R.No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R. No.195(E) dated 01.04.2013 G.S.R.No.393(E) dated 21.06.2013
	G.S.R.No.591(E) dated 04.09.2013
G.S.R.No. 29(E) dated 19.01.2006	

G.S.R.No.596(E) dated 06.09.2013	G.S.R.No. 632 (E) dated 02.09.2014
G.S.R.No.597(E) dated 06.09.2013	G.S.R.No. 798 (E) dated 13.11.2014
G.S.R.No.681(E) dated 11.10.2013	
G.S.R.No.682(E) dated 11.10.2013	G.S.R.No. 799 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No.818(E) dated 31.12.2013	G.S.R.No. 800 (E) dated 13.11.2014
G.S.R. No.805(E) dated 30.12.2013	G.S.R.No. 829 (E) dated 21.11.2014
G.S.R.No.683(E) dated 11.10.2013	· · ·
G.S.R.No.189(E) dated 19.03.2014	G.S.R.No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R.No.190(E) dated 19.03.2014	G.S.R.No. 914 (E) dated 24.12.2014
G.S.R.No.270(E) dated 07.04.2014	G.S.R.No. 30 (E) dated 14.01.2015
G.S.R.No. 361 (E) dated 27.05.2014	G.S.R.No. 183 (E) dated 12.03.2015
G.S.R.No.370(E) dated 30.05.2014	G.S.R.No. 284 (E) dated 13.04.2015
G.S.R.No.371(E) dated 30.05.2014	G.S.R.No. 484 (E) dated 11.06.2015
G.S.R.No. 435 (E) dated 08.07.2014	G.S.R.No. 745 (E) dated 30.09.2015
G.S.R.No. 400 (E) dated 12.06.2014	G.S.R.No. 759 (E) dated 06.10.2015
G.S.R.No. 436 (E) dated 08.07.2014	G.S.R.No. 823 (E) dated 30.10.2015
G.S.R.No. 487 (E) dated 11.07.2014	G.S.R.No. 858 (E) dated 16.11.2015